प्रस्ताव के लिए अनुरोध

1. परिचय

खेल और शारीरिक शिक्षा बच्चों, किशोरों व युवाओं के जो कि हमारी देश की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत है, के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और यह चीन सहित अन्य विकसित समाज जहां वृद्धों की संख्या अधिक है, की तुलना में हमारा सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन स्रोत हैं | युवाओं के विकास तथा त्वरित राष्ट्रीय विकास के रुप में खेलों के विकास को एक अभिन्न पहलू के रुप में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में बुनियादी स्तर पर खेल गतिविधियों के माध्यम से तथा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करते हुए" "खेलों के आधार को विस्तृत करने" पर विशेष जोर दिया गया है |

बुनियादी स्तर पर खेल गतिविधियों को उपलब्ध कराने के मार्ग में देश में बुनियादी खेल अवसंरचना/सुविधाओं की अत्यंत सीमिति उपलब्धता प्रमुख बाधा है | इसके अलावा, वर्तमान आधार अत्यंत संकुचित है जो मोटे तौर पर शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है जो कि आबादी का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है | आबादी का शेष 75 प्रतिशत जो मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, वह प्रारंभिक खेल सुविधाओं तक से सूचित है | प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं की मेजबानी के संदर्भ में, कुछ चुनिंदा शहरों में ही, ग्रामीण शहरी अंतराल तथा शहरी क्षेत्रों में भी, विशेषकर निर्धन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का असमान वितरण है | 700 मिलियन युवाओं (13 वर्ष से कम आयु के बालकों सहित) के पास या तो खेल सुविधाएं हैं ही नहीं और यदि हैं तो बहुत कम हैं | इनमें से लगभग 500 मिलियन ग्रामीण युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (13 वर्ष से कम आयु के बालकों सहित) जो अपने शहरी देश-वासियों की तुलना में खेल सुविधाओं से कहीं अधिक वंचित हैं | ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना खेलों के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है |

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) का लक्ष्य पंचायत स्तर पर बुनियादी खेल अवसंरचना और उपकरण उपलब्ध कराकर तथा ब्लाक व जिला स्तरों पर वार्षिक स्पर्धाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहन देते हुए उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करना है | पायका राज्यों को बुनियादी स्तर पर खेलों के संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करेगा जिसके लिए वे अभी तक सीमित संसाधनों के कारण अपने स्वयं के बल पर यह कार्य करने में सक्षम नहीं रहे हैं | यह राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों

को बेहतर खेल-प्रदर्शन के लिए प्रेरित करके खेल प्रतिभा के आधार को और भी गहरा व व्यापक बनाने का कार्य करेगा |

II. पायका की प्रमुख विशेषताएं:

- पायका का लक्ष्य 10 वर्षों की अवधि में देश भर में पंचायत स्तर पर सभी स्वामित्वधारियों, विशेषकर राज्य सरकारों, पंचायतों, शैक्षिक संस्थानों, खेल संवर्धन निकायों तथा युवा क्लबों के ठोस प्रयासों के द्वारा बुनियादी खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना है | इस अवधि में सभी 2,50,000 गांवों तथा ब्लक पंचायतों व समकक्ष इकाईयों को कवर किया जाएगा |
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन मिशन के रुप में किया जाएगा |
- पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी स्थानीय स्कूल, स्थानीय नेहरु युवा केन्द्र क्लब, राज्य संवर्धित क्लब अथवा कोई भी गैर-सरकारी संगठन जो खेलों में सक्रिय हो, हो सकते हैं |
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम की तरह किया जाएगा तथा इसमें सहायता के विभिन्न घटक होंगे |
- प्रत्येक यूनिट में एक क्रीड़ाश्री अथवा खेल स्वयंसेवक होगा जो सक्रिय खिलाड़ी, कोच, अवकाश प्राप्त शारीरिक अनुदेशक अथवा अवकाश प्राप्त खिलाड़ी हो सकता है |
- अतिरिक्त् संसाधन जुटाने व पंचायतों के आकार के आधार पर पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी; दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी |
- राज्यों के कवरेज को राज्य खेल नीति की उदघोषणा तथा खेल व शिक्षा के एकीकरण सहित खेलों से जुड़े सुधारों से जोड़ा जाएगा |

III. **पायका राष्ट्रीय समर्थन अभियान के विषय में:**

पायका स्कीम में खेल ब्यूरो (मिशन निदेशालय) के माध्यम से पूर्ण-विकसित अभियान का प्रावधान है | अभियान का लक्ष्य लक्षित समूह में पायका के प्रति जानकारी का प्रसार करना तथा उनमें उत्साह उत्पन्न करना है |

राष्ट्रीय अभियान पायका के विषय में राष्ट्रीय जागरुकता भी उत्पन्न करेगा तथा पंचायत स्तर पर कार्यक्रम से जुड़ाव व लगाव की भावना संपुष्ट करेगा | इलेक्ट्रानिक व प्रिंट

मीडिया, पुस्तकों डाक टिकटों आदि को जारी करने के माध्यम से राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करने का प्रस्ताव है ताकि लक्षित समूह स्कीम का पूरा लाभ उठा सके |

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उनके कार्यक्रमों के लिए प्रारंभ किए गए अभियानों जैसे कि नरेगा (ग्रामीण विकास मंत्रालय), पोलियो मिशन तथा एड्स की रोकथाम (स्वास्थ्य मंत्रालय), राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) की तर्ज पर ही उपर्युक्त राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया जाएगा |

जन संचार मीडिया अभियान की शुरुआत से निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं:-

- यह दिखाने के लिए पायका का प्रचार करना कि; यह कैसे कार्य करता है, किस प्रकार आप इसका एक भाग बन सकते हैं, बच्चों युवाओं, अभिभावकों शिक्षकों तथा पंचायतों के लिए इसका क्या अर्थ है |
- बालकों तथा युवाओं को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भाग लेने व खेलने के लिए प्रोत्साहित करना |
- निर्णय लेने वालों (पंचायतों, शिक्षकों तथा अभिभावकों) की इस सोच में परिवर्तन लाना कि खेलना महत्वपूर्ण नहीं है |
- बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित स्थान तैयार कराने हेतु समुदायों को प्रेरित करना |
- पंचायत, ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर खेलों में भाग लेने व स्पर्धा करने के लिए बच्चों के लिए उपलब्ध उपकरणों की जानकारी से समुदायों को अवगत कराना |
- स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विषय में जागरुकता उत्पन्न करना |

IV. <u>**निविदा आमंत्रण पत्र**</u>

म्यूजिक वीडियो, टीवी स्पॉट, खेल-स्पर्धा के कार्यक्रम आदि तैयार करने के लिए जिनका विवरण निम्नलिखित है, उपयुक्त तथा अनुभवी मीडिया एजेंसियों से सील बंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं:-

क) हिंदी में एक गुणगान तथा एक एपिक म्यूजिक वीडियो-टेलीकास्ट/प्रसारण के उद्देश्य से प्रत्येक (4) मिनट की अवधि का होगा | तदनुसार अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में डबिंग की जाएगी |

ख) विभिन्न क्षेत्रों (राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोरंजन से जुड़े कलाकार, उद्योगपति, इत्यादि) का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सेलीब्रिटीज- टीवी स्पाट, सेलीब्रिटीज स्थानीय समुदायों के साथ खेल खेलें- दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर दिखाए जाने के लिए प्रत्येक (2) मिनट की अवधि का होगा |

ग) पूरे देश में प्रत्येक सरकारी स्कूल और कार्यालय में प्रदर्शन के लिए खेल कार्यक्रमों का मुद्रण |

घ) सफलता की दस कहानियों की वीडियो | पायका के प्रमुख राज्यों से उनके समुदाय की आवाज में पायका के रोल माडलों (व्यक्तियों, स्कूलों, पंचायतों) के वास्तविक जीवन की कहानियां |

V. <u>विचारार्थ विषय</u>

1. <u>लक्ष्य:</u>

- बालिकाओं, शारीरिक रुप से अक्षम बच्चों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे देश में संगठित खेल खेलने के लिए मिलियन बच्चों तथा युवाओं को प्रेरित करना |
- युवा समुदाय को “क्रीड़ाश्री” (खेल स्वयंसेवक) के रुप में कार्य करने के लिए प्रेरित करना |
- निर्णय लेने वालों के साथ बच्चों के जीवन में यह मूल्य पैदा करना तथा इसके लिए सहायता देना कि खेल खेलना महत्वपूर्ण है तथा सशक्तिकरण, शिक्षा आत्म-विकास तथा समुदाय क सहभागिता को केन्द्र में रखना |
- पूरे देश में बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित स्थान तैयार करने के प्रति समुदायों को प्रेरित करना |
- पंचायत, ब्लाक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने व स्पर्धा करने के लिए बच्चों के लिए उपलब्ध उपकरण के विषय में समुदायों को अवगत कराना |
- स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय खेल-स्पर्धाओं के विषय में जागरुकता उत्पन्न करना |
- यह स्पष्ट करने के लिए पायका का प्रचार करना कि-
    - यह कैसे कार्य करता है
    - आप किस प्रकार इससे जुड़ सकते हैं

o बच्चों, युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों तथा पंचायतों के लिए इसका क्या अर्थ है |

2. <u>कार्य का क्षेत्र:</u>

"खेलो इंडिया खेलो" (पायका प्ले इंडिया) राष्ट्रीय समर्थन अभियान बड़े पैमान पर मल्टी-मीडिया कम्यूनिकेशन होगा तथा यह समर्थन अभियान जिसे करोड़ों बच्चों को पूरे देश के गांवों व शहरों में खेलने के लिए प्रेरणा देने हेतु टेलीविजन, रेडियो तथा स्कूलों में दिखाया/प्रसारित किया जाएगा | सामान्य योजना के भाग के रुप में पायका कार्यक्रम के तहत खेलों में जन-सहभागिता के संबंध में, प्रेरणा उत्पन्न करने तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय समर्थन अभियान "खेलो इंडिया खेलो" के बैनर तले पूरे देश में बुनियादी गतिविधियों, आयोजित स्पर्धाओं तथा प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा दिया जाएगा |

"खेलो इंडिया खेलो" राष्ट्रीय समर्थन अभियान राष्ट्रीय दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा तथा रेडिया चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा और खेल कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश के सरकारी स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा | अभियान के विविध समूह होंगे:

क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के करोड़ो बच्चे |

ख) पंचायतों, समुदाय, बालकों के जीवन को दिशा देने वाले अभिभावकों, शिक्षकों राज्य और राष्ट्रीय सरकार (500 मिलियन लोग)

3. <u>अपेक्षित कार्य:</u>

क) हिंदी में एक गुणगान तथा एक एपिक म्यूजिक वीडियो-टेलीकास्ट/प्रसारण के उद्देश्य से प्रत्येक (4) मिनट की अवधि का होगा |

ख) विभिन्न क्षेत्रों (राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोरंजन से जुड़े कलाकार, उद्योगपति, इत्यादि) का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सेलीब्रिटीज- टीवी स्पाट, सेलीबिटीज स्थानीय समुदायों के साथ खेल खेलें- दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर दिखाए जाने के लिए प्रत्येक (2) मिनट की अवधि का होगा |

ग) सफलता की दस कहानियों की वीडियो | पायका के प्रमुख राज्यों- आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ व असम से उनके समुदाय की आवाज में पायका के रोल माडलों (व्यक्तियों, स्कूलों, पंचायतों) के वास्तविक जीवन की कहानियां |

घ) पूरे देश में प्रत्येक सरकारी स्कूल और कार्यालय में प्रदर्शन के लिए खेल कार्यक्रमों का मुद्रण |

4. <u>समय सारणी:</u>

"खेलों इंडिया खेलो" प्रमुख परियोजना के प्रारंभ होने पर अगस्त, 2009 से मार्च, 2010 तक परिकल्पित गतिविधियों को करने का लक्ष्य होगा| प्रमुख चरण में, मीडिया के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए टीवी, रेडियो तथा प्रकाशन के घटक होने चाहिए |

निर्माण का विकास: अक्तूबर, 2009 से मार्च, 2010

निर्माण प्रारंभ करने की तारीख:

क) गुणगान गीत तथा एपिक म्यूजिक वीडियो: जनवरी, 2010
ख) सेलिब्रटी टीवी स्पॉट: जनवरी, 2010
ग) सफलता की कहानियों की वीडियो: मार्च, 2010
घ) कैलेण्डर/पोस्टर: दिसम्बर, 2009

5. <u>अपेक्षित परिणाम:</u>

- लक्षित समूहों पर व्यापक और सशक्त प्रभाव डालने के लिए ताकि वे उच्च स्तरीय सशक्तिकरण, आत्मविश्वास और विश्वास विकसित कर सके |
- सभी प्रकार के खेलों को खेलने के लिए लोगों में अपने-आप को ज्ञान व हुनर से सुसज्जित करने की आकांक्षा उत्पन्न करना |
- कलात्मक तथा सृजनात्मक संदेशों का समावेश जो बुनियादी स्तर पर बच्चों, छात्रों तथा लोगों तक सरलता से पहुंच सकने योग्य हो |
- खेलों को खेलने के लिए समुदायों व व्यक्तियों के दृष्टिकोण तथा व्यवहार को सकारात्मक रुप से प्रभावित करना |
- ऐसी मीडिया सामग्री तैयार करना जिससे लक्षित समूहों को प्रेरित, शिक्षित, सशक्त व प्रोत्साहित किया जा सके | सामग्री तकनीकी व सृजनात्मक दोनों ही रुप से उच्च कोटि की होनी चाहिए |

6. <u>शामिल किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र</u>

पूरा देश प्रस्तावित मीडिया सामग्री का कवरेज क्षेत्र होगा |

7. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का यह दायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पहले की बैठक में बोली लगाने वालों द्वारा उठाए गए विषयों/संशयों पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं | इसके अलावा, स्वीकार्य कार्यों के प्रस्तुत करने पर, सफल मीडिया सेवा उपलब्ध कर्ता को भुगतान किया जाएगा |

8. प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुरुप उच्च कोटि की सामग्री/कार्य को प्रस्तुत करना चयनित मीडिया सेवा उपलब्धकर्ता का दायित्व है |

VI. <u>पात्रता तथा पूर्व अर्हता मानदंड</u>

- पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम 2 करोड़ रु0 (दो करोड़) का वार्षिक कारोबार
- गुणात्मक आडियो/वीडियो स्पाट, लघु फिल्मों, प्रचार अभियानों की विषयवस्तु तैयार करने व निर्माण करने और स्पर्धाओं के पोस्टर, कैलेण्डर, के डिजायन तैयार करने, संपादन तथा मुद्रण के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव
- सरकारी/सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए कार्य करने का अनुभव
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यालय की शाखा |

VII. <u>प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज:</u>

- पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य
- पिछले तीन वर्षो के लेखा परीक्षित लेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित सक्षमता के विवरण
- ग्राहकों की वर्तमान सूची तथा उनके लिए दी गई सेवाओं के विवरण का सार
- दिखायी गई विशेषज्ञता/अनुभव कार्य के क्षेत्र की पूर्ति के समर्थन में दस्तावेज
- उत्कृष्टता पुरस्कार/मान्यता/प्रशंसा के विवरण, यदि हो |
- पायका समर्थन अभियान के लिए इसके मिशन, स्वप्न, उद्देश्य तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित रणनीति के विषय में आलेख (2000 शब्द)

VIII. <u>बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश</u>

1. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विचारणीय विषय के अनुसार अपेक्षित आउटपुट/सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तथा इस प्रस्ताव के लिए अनुरोध में विनिर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के अनुरुप एक मीडिया एजेंसी का चयन करेगा |

2. दिनांक 08.09.2009 के पत्र में यथा उल्लिखित तकनीकी तथा वित्तीय दोनों तरह की मुहरबंद बोलियां निदेशक (खेल, कमरा नं0 517, सी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को 5 , 2009 अथवा इससे पहले 4.00 बजे तक भेजी जा सकती है | प्राप्त होने की विनिर्दिष्ट तिथि व समय के पश्चात प्राप्त हुई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें बिना खोले ही वापस कर दिया जाएगा |

3. बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि टीवी स्पॉट, रेडियो स्पाट, म्यूजिक वीडियो तथा सफलता की कहानियों के चार मीडिया सामग्री को तैयार करने के लिए तथा सामग्री-वार निर्माण (प्रत्येक मीडिया सामग्री) के लिए वित्तीय बोलियां अलग से प्रस्तुत करें |

4. वित्तीय बोली में दावित मूल्य के लिए पूरे औचित्य के साथ तकनीकी बोली में उल्लिखित प्रत्येक विषय के लिए मूल्य का विवरण होना चाहिए |

5. बोलियों दो प्रतियों में अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाएंगी |

6. बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे अनुबंध “क” में उल्लिखित निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद तकनीकी प्रस्ताव एक लिफाफे में अलग से प्रस्तुत करें |

7. बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे अनुबंध “ख” में उल्लिखित निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफे में अलग से प्रस्तुत करें |

8. बोली लगाने वालों को दो मुहरबंद लिफाफों को विधिवत रुप से मुहरबंद बड़े लिफाफे में रखकर उसे निदेशक (खेल) कमरा नं0 516, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को 5 ,2009 अथवा इससे पहले 4.00 बजे तक प्रस्तुत कर देना चाहिए |

9. पायका मिशन निदेशालय प्रस्ताव को समय से पहले खोलने के लिए जिस पर उचित प्रकार से पता न लिखा हो, कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा |

10. बोलियों की वैधता तकनीकी बोलियों के खोलने की तारीख से 90 दिन से कम नहीं होनी चाहिए | बोली लगाने वालों को वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए, यदि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अनुरोध करे, अनिवार्यतः सहमत होना होगा |

11. बोली लगाने वालों को अपनी बोलियों के साथ स्वीकार्य फार्म में किसी भी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रुप में 5,00,000/-रु0 (पाँच लाख रु0 केवल) की राशि की बयाना राशि जमा करनी होगी | बोली की सुरक्षा अंतिम बोली की वैधता अवधि से अलग 45 दिन के लिए वैध होगी |

12. बिना बयाना राशि (बोली की सुरक्षा) के साथ प्रस्तुत की गई बोलियां, निर्धारित प्रपत्रों के बिना बोलियां, प्रस्ताव के लिए अनुरोध में निर्धारित अवधि से कम वैधता अवधि वाली बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा |

13. वित्तीय प्रस्ताव वाले लिफाफे तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन होने तक खोले नहीं जाएंगे | इस प्रकार के बोली लगाने वालों के वित्तीय प्रस्ताव तभी खोले जाएंगे जब तकनीकी प्रस्तावों के लिए निर्धारित किए एग न्यूनतम 75% अंक उन्हें प्राप्त हुए हों |

14. बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों अर्थात तकनीकी व वित्तीय में पूरा किया जाएगा | मीडिया एजेंसी का चयन संयुक्त गुवत्ता एवं लागत आधारित प्रणाली तथा निम्नलिखित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा,

तकनीकी बोलियों को खोलना व मूल्यांकन:

तकनीकी बोलियां पहले खोली जाएंगी व उनका मूल्यांकन किया जाएगा | युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की मीडिया समिति निम्नलिखित मूल्यांकन मानदंड, उप-मानदंड तथा विनिर्दिष्ट अंक प्रणाली में दिए गए कार्य के क्षेत्र के लिए प्रतिक्रिया के आधार पर तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करेगी:

क्र0सं0	मद	अंक
1	संकल्पना और विषय-वस्तु	30
2	सृजनात्मकता और नवाचार	20
3	परियोजना टीम	20
4	तकनीकी विशेषज्ञता (पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाए गए स्पाट व फिल्में)	15
5	समग्र प्रभाव	15

मूल्यांकन/चयन मानदंड के संबंध में एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्पना/दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा | एजेंसी से यह अपेक्षा होगी कि वह कार्यान्वयन प्रणाली विज्ञान, टीम संरचना, कार्य अनुसूची, सृजनात्मकता व नवीकरण सहित संकल्पना/अनुभव/तकनीकी बोली को शामिल करते हुए अपनी बोली प्रस्तुत करें | प्रस्तुतीकरण की तारीख और समय के विषय में प्रत्येक एजेंसी को अलग से सूचित किया जाएगा |

प्रत्युत्तरदायी बोलियों को गुणात्मक स्कोर दिया जाएगा तथा कट-आफ मार्क (75%) से अधिक अथवा इसके समान अंक प्राप्त करने वाली बोलियां आगे के लिए विचार करने हेतु पात्र मानी जाएंगी | गुणात्मक स्कोर को 80% का लाभ दिया जाएगा | इस चरण में ऐसी बोली रद्द कर दी जाएगी यदि वह प्रस्ताव के लिए अनुरोध के महत्वपूर्ण पहलुओं तथा विशेषकर कार्य के क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी न हो अथवा वह न्यूनतम गुणात्मक स्कोर (75%) प्राप्त करने में असफल रहे |

तकनीकी मूल्यांकन के पूरा हो जाने के पश्चात, एनडीएमए वित्तीय बोलियां को खोलने के लिए समय और स्थान के विषय में एजेंसियों (न्यूनतम 75 गुणात्मक स्कोर प्राप्त करने वाली) को लिखित में सूचित करेगा |

वित्तीय बोलियों को खोलने के समय एजेंसियों की उपस्थिति एच्छिक है किंतु इसे सभी उपस्थिति व्यक्तियों द्वारा रिकार्ड किया जाएगा तथा हस्ताक्षर किए जाएंगे |

उपस्थित रहने के लिए चुनी गई एजेंसियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सार्वजनिक रुप से केवल उन्हीं एजेंसियों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिन्होंने न्यूनतम 75% गुणात्मक स्कोर प्राप्त किया हो, एजेंसियों की इन वित्तीय बोलियों को रिकार्ड किया जाएगा | वित्तीय बोलियों को 20% का महत्व दिया जाएगा | सबसे कम लागत वाली बोली को 100 का लागत स्कोर दिया जाएगा तथा अन्य बोलियों को लागत स्कोर दिया जाएगा जो अपने मूल्यों के संबंध में प्रतिलोमतः आनुपातिक हैं | उदाहरण के लिए, प्रस्ताव के लिए अनुरोध में क, ख और ग से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे | “क” ने 120/-रु0 के मूल्य, “ख” ने 100/-रु0 के मूल्य तथा “ग” ने 110/-रु0 के मूल्य कोट किए हैं; सबसे कम मूल्य सूत्र का उपयोग करते हुए निम्नलिखित अंक दिए गए:- वास्तविक मूल्य

वित्तीय प्रस्तावों के लिए:

क:	100/120	=	83 अंक
ख:	100/100	=	100 अंक
ग:	100/110	=	91 अंक

मूल्यांकन समिति गठन संबंधी किसी भी त्रुटि को सही करेगी | गणना संबंधी त्रुटियों को सही करते समय, आंशिक राशि और गड़बड़ होने की स्थिति में पहला प्रचालित रहेगा | इसके अलावा, तकनीकी बोली में दी गई हो तो अन्य गतिविधियों अथवा विषयों के मूल्यों में इन्हें शामिल किया जाएगा | प्रत्येक एजेंसी के लिए कुल स्कोर की गणना सूत्र (टीएस = 08Xक्यूएवX 0.2Xसीएस) के अनुसार, अपने-अपने गुणात्मक स्कोर तथा स्कोर को महत्व देते हुए की जाएगी | गुणवत्ता तथा लागत के लिए संयुक्त महत्व प्राप्त स्कोर के आधार पर, एजेंसियों को प्राप्त कुल स्कोर के अनुसार रैंक दिया जाएगा | गुणवत्ता तथा लागत के मूल्यांकन में उच्चतम तथा लागत के मूल्यांकन में उच्चतम कुल संयुक्त स्कोर प्राप्त करने वाली बोली को एच-1 का रैंक दिया जाएगा इसके बाद कम स्कोर वाली बोलियों को एच-2, एच-3 का रैंक दिया जाएगा |

संविदा करना

उच्चतम संयुक्त अंक प्राप्त करने वाली एजेंसी पर कार्य सौंपने के लिए विचार किया जाएगा | एजेंसी के चयन के पश्चात युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा वित्तीय प्रेक्षक दिखाए जा सकते हैं | चयनित एंजेसी को बताए गए नियम व शर्तें स्वीकार्य नहीं होने की स्थिति में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कार्य देने के लिए अगले उच्चतम स्कोर वाली एजेंसी अर्थात एच-2 को आमंत्रित करने का अधिकार होगा |

कार्य सौंपने का अंतिम निर्णय विचारार्थ विषय, संकल्पना; तकनीकी विशेषज्ञता तथा सृजनात्मक टीम, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के इनपुट तथा अन्य आवश्यक विशेष स्थितियों पर विचार-विमर्श के आधार पर लिया जाएगा | तथापि, विचार-विमर्श वास्तविक टीओआर में पर्याप्त रुप से परिवर्तन नहीं होगा | अंतिम टीओआर “तकनीकी विशिष्टीकरण” में समाहित होगा जो कि संविदा का भाग होगा |

संविदा की अवधि

कार्य को एक विशिष्ट समय-सीमा में पूरा किया जाना है जिस पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा चुनी हुई एजेंसी ने सहमति जतायी है | बताए गए विभिन्न् चरणों पर कार्य को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है | कार्य के विभिन्न चरणों पर टिप्पणियां देने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लिए गए समय की गणना इस अवधि के लिए नहीं की जाएगी |

पुनरीक्षा तथा अनुवीक्षण प्रबंध

संयुक्त सचिव (खेल) की अध्यक्षता में मीडिया समिति चयनित मीडिया एजेंसी को सौंपे गए कार्य का पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा पुनरीक्षा करेगी | समिति जन साधारण, पंचायतों, ब्लाकों, जिलों तथा राज्यों में पायका अभियान के प्रारंभ होने के एक या दो माह के पश्चात इसके प्रभाव का मूल्यांकन भी करेगी |

भुगतान का तरीका

कार्य सौंपने के पत्र में विनिर्दिष्ट देय सामग्री के निर्माण के लिए, एजेंसी उसी दिन अथवा संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, जो संविदा मूल्य के 5%(पाँच प्रतिशत) के समान राशि के लिए बिना शर्त के बैंक गारंटी की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों से अधिक की नहीं होगी | बैंक गांरटी भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक द्वारा जारी किए गए तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को स्वीकार्य अवर सचिव (पायका) के पक्ष में होगा | सुरक्षा का निष्पादन सभी संविदा परक दायित्वों की तारीख से अलग 90 दिन की अवधि के लिए मान्य होगा | यदि आवश्यक हो तो संविदा पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के अंदर अथवा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, इनमें से जो भी पहले हो, एजेंसी के लिए एक समतुल्य राशि हेतु बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर अग्रिम भुगतान के रुप में, संविदा मूल्य का 10% जारी किया जाएगा | बैंक गारंटी अवर सचिव (पायका) के पक्ष में होगी जो स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किसी भी राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक द्वारा जारी की जाएगी और वह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को स्वीकार्य हो | अंतिम भुगतान के समय खेल विभाग इस 10% अग्रिम भुगतान को समायोजित करेगा |

प्रत्येक सामग्री के लिए भुगतान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा अंतिम रुप से चयनित एजेंसी के मध्य हस्ताक्षरित की जाने वाली संविदा में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की संतुष्टि के लिए, इसके मिल जाने के बाद ही किया जाएगा|

अन्य शर्तें

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय उन एजेंसियों को अधिसूचित करेगा जिनकी बोलियों की छटाई तकनीकी मूल्यांकन के दौरान आगे विचार करने के लिए नहीं की गई है तथा उनकी वित्तीय बोलियां चयन प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद वापस कर दी जाएगी |

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए किसी भी समय प्रभावित बोली लगाने वाले के प्रति बिना किसी दायित्व अथवा प्रभावित बोली लगाने वाले को निर्णय का आधार बताए बिना बोलियों को रद्द करने का अधिकार होगा | चयनित एजेंसी को कार्य सौंपे जाने के बाद हस्ताक्षरित की जाने वाली संविदा में निर्धारित विभिन्न अन्य नियमों व शर्तों का पालन करना होगा | संविदा/करार की प्रति अनुबंध-"ग" में है |

चयनित एजेंसी को कार्रवाई, मांग, उपेक्षा करने अथवा एजेंसी की ओर से दायित्वो का निर्वहन न कर पाने के कारण सभी दायित्वों के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करनी होगी |

टाइटिल राइट, कापीराइट तथा सभी अन्य अधिकार जो एजेंसी को सौंपे गए कार्य के तहत स्क्रिप्ट तथा बनाए गए वीडियो स्पाट अथवा निर्मित किए गए स्पाट के संबंध में हो, सभी मंत्रालय की संपदा होंगे | एजेंसी का ऐसी पटकथा अथवा अन्य सामग्री अथवा एजेंसी को कार्य सौंपने के बाद हस्ताक्षरित की जाने वाली "संविदा" में किए गए विचार से हट कर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा तैयार कराई गई सामग्री पर कोई अधिकार नहीं होगा |

शूटिंग/निर्माण में अत्याधुनिक कला तकनीक का प्रयोग किया जाए तथा किसी भी तीसरे पक्ष से बौद्धिक संपदा अधिकार के विवाद से मुक्त हो | सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा तथा एजेंसी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के बिना इनका उपयोग नहीं करेगी |

किसी भी तीसरे पक्ष/पक्षों के बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन होने पर क्षतिपूर्ति के लिए एजेंसी उत्तरदायी है तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को क्षतिपूर्ति करने के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी तथा अन्य पक्ष को लाइसेंस शुल्क देगी तथा मामले से उत्पन्न अन्य किसी अपेक्षित भुगतान भी वही करेगी |

*****

<u>अनुबंध- “क”</u>

<u>वीडियो रेडिया स्पाट के लिए</u>

<u>प्रस्ताव प्रत्युत्तर प्रपत्र- तकनीकी बोली</u>

पायका राष्ट्रीय समर्थन के संबंध में हिंदी में वीडियो/टीवी/रेडियो स्पॉट की संकल्पना

<u>तकनीकी बोली प्रपत्र</u>

क्र0सं0	विषय-वस्तु
1	संदर्भ विचारार्थ विषय/कार्य के क्षेत्र के वृहत प्रदर्शन पर टिप्पणी
2	संकल्पना, सृजनात्मकता तथा रणनीति पर प्रतिक्रिया • समग्र संकल्पना नोट/अपनायी गई थीम • संभावित स्क्रिप्ट, ट्रीटमेंट नोट तथा स्टोरी बोर्ड सहित सृजनात्मक मार्ग विकल्प। इन्हें हिंदी में तैयार किया जाए; हालांकि अंततः इन्हें आवश्यक रुप से क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाना है। • मूल्य-संदेश का समावेश • लक्षित समूहों को संबोधित करते हुए • शूटिंग लोकेशन, विषय-वस्तु, चरित्र, प्रोपर्टी, कलाकार, आउटडोर शूटिंग लोकेशन, भाषा ग्राफिक्स/एनीमेशन इत्यादि • अधिकतम दर्शनीयता/लोकप्रियता के लिए अपनाए गए इनोवेशन/एनीमेशन/चरित्र • अत्याधुनिक कला तकनीक का प्रयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार के विवाद से मुक्त • भाषा संस्करण वीडियो/रेडियो स्पाट में डबिंग शामिल की जाए (बेस्ट वासय ओवर) • उपभोगकर्ता से आवश्यक इनपुट
3	प्रोजेक्ट टीम - प्रस्तावित प्रोजेक्ट टीम - मूल व्यक्तियों जैसे कि निदेशक, संपादक, कलाकार, कैमरामैन, स्क्रिप्ट लेखक, संगीतकार हिंदी डबिंग में वायस-ओवर कलाकार, वायस कलाकार के नाम उपलब्ध कराएं - भूमिकाएं और उत्तरदायित्व
4	पूरे देश में सरकारी स्कूलों तथा सरकारी कार्यालयों के लिए वितरित करने हेतु उत्तम कोटि के कागज पर गुणात्मक पोस्टर/खेल स्पर्धाओं के कैलेण्डर तैयार करना।

अनुबंध-"ख"

खेल स्पर्धाओं की वीडियो/रेडियो स्पाट/कार्यक्रम के मुद्रण के लिए प्रस्ताव प्रत्युत्तर प्रपत्र-वित्तीय बोली

1. तकनीकी बोली का संदर्भ
2. प्रयुक्त वितरण/संचरण का विवरण
3. संलग्न अनुबंधों की सूची और नाम
4. मूल्य परिवर्धन/परिवर्धित संवाएं जिन्हें एजेंसी बतायी गई लागतों के तहत उपलब्ध करा सकती है।
5. निम्नलिखित प्रत्येक के लिए अलग अनुबंध में वृहत वित्तीय कोट

क्र0सं0	विवरण	राशि रु0 में
1	i. हिंदी में चार मिनट की अवधि के एक गुणगान गीत और एक म्यूजिक वीडियो को तैयार करने की कुल लागत। ii. "मैं क्रीड़ाश्री हूं, क्या आप भी हैं ?" हिंदी में इस थीम पर स्थानीय समुदायों के साथ "खेल" खेलने पर दो मिनट की अवधि के टीवी स्पाट को तैयार करने की कुल लागत, तथा iii. हिंदी में आवाज के द्वारा पायका के रोल माडलों की सफलता की दस कहानियों की वीडियो बनाने की कुल लागत।	
2	प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में मास्टर वीडियो स्पाट, टीवी स्पाट तथा रेडियो स्पाट डबिंग की यूनित लागत	
3	पूरे देश में सरकारी स्कूलों तथा सरकारी कार्यालयों के लिए वितरित करने के लिए खेलों के पोस्टरों/कार्यक्रम को उत्तम कोट के पेपर पर तैयार करने की कुल लागत।	
	जोड़	

नोट-1: प्रत्येक वस्तु के लिए बताए गए मूल्य का पूरा औचित दिया जाए।

*****

अनुबंध-"ग"

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
खेल विभाग
मिशन निदेशालय-पायका

पायका समर्थन अभियान के लिए वीडियो/आडियो/टीवी स्पाट आदि के निर्माण के लिए

खेल विभाग

और

के मध्य

एजेंसी की सेवाओं के लिए संविदा

यह संविदा नई दिल्ली में दिनांक -------------, 2009 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इसके पश्चात इसे (खेल विभाग) अथवा प्रथम पक्ष कहा जाएगा तथा --- जिसका ------------------------------ में पंजीकृत कार्यालय है, इसके पश्चात इसे ("एजेंसी") अथवा द्वितीय पक्ष कहा जाएगा |

यत:

क) एजेंसी, जिसने खेल विभाग को बताया है कि उसके पास अपेक्षित व्यवसायिक हुनर, कार्मिक तथा तकनीकी संसाधन है, ने दिनांक --------------------- को खेल विभाग द्वारा जारी किए गए "प्रस्ताव के लिए अनुरोध" नामक निविदा अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सेवाओं की पूर्ति करने के लिए कहा है |
ख) खेल विभाग ने इस संविदा में निर्धारित नियम व शर्तों पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए दिनांक ---------------------- के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है |

अब, इसलिए यहां निहित आपसी विचार-विमर्श से दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:

1) निम्नलिखथ्त दस्तावेज इस संविदा का अभिन्न भाग समझे जाएंगे:

क. परिशिष्ट

परिशिष्ट क – गतिविधियों तथा कार्यों सहित सेवाओं का विवरण
परिशिष्ट ख – कार्यों का प्रपत्र
परिशिष्ट ग – भारतीय मुद्रा में कुल लागत
परिशिष्ट घ – कार्य-निष्पादन अभिरक्षा के लिए मॉडल बैंक गारंटी प्रपत्र

ख. अनुबंध 1 : कार्यों के लिए समय-सीमा अनुसूची
ग. अनुबंध 2 : वीडियो व आडियो स्पाट की अनुमोदित प्रतियां
घ. अनुबंध 3 : मीडिया समिति का गठन

2) खेल विभाग और एजेंसी के अधिकार व दायित्व संविदा में निर्धारित किए जाएंगे, विशेषत:,
क. गतिविधियों तथा कार्यों सहित सेवाओं का विवरण – अनुबंध – "क"

ख. एजेंसी को संविदा पर हस्ताक्षर करने के ---- दिनों के अंदर पूरा करना होगा बशर्ते कि भुगतान की समय-सीमा तथा प्रलेखीकरण के प्रस्तुत करने की तथा पुष्टि करने की अवधि की परिभाषा का अनुपालन किया जाए |

ग. परिशिष्ट ग के अनुसार विचार अथवा संविदा लागत ------------ रु0 होगी |

घ. खेल विभाग संविदा के अनुबंध-1 की परिदेय अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार एजेंसी को भुगतान करेगा |

ड. संविदा की विस्तृत शर्तें संलग्न हैं | उसे संगत ढंग से पढ़ा जाना होगा |

जिसकी गवाही में, पक्षों ने यह संविदा की है जिसे ऊपर लिखित दिन और वर्ष में उनके संबंधित नामों पर हस्ताक्षरित किया जाना है |

द्वारा हस्ताक्षरित-

(सुश्री दीपिका कच्छल)
निदेशक (खेल), खेल विभाग
भारत सरकार का प्राधिकृत प्रतिनिधि

(गवाह)

(i)

(ii)

द्वारा हस्ताक्षरित—

के लिए और पक्ष में (एजेंसी का नाम)

(गवाह)

(i)

(ii)

गीत, हिंदी में संगीत, वीडियो के उत्पादन, प्रतियोगिता के कैलेण्डर के टीवी स्पोट्स उत्पादन/सरकारी स्कूलों आदि में प्रदर्शन के लिए पोस्टरों के उत्पादन के लिए खेल विभाग और ----------- (एजेंसी) के बीच दिनांक ------------, 2009 की संविदा की विस्तृत शर्तें |

1.1 परिभाषाएं, जब तक संदर्भ में अन्यथा जरुरत नहीं पड़ती, निम्नलिखित शर्तों, जो इस संविदा में जब भी प्रयोग हुई हैं, का निम्नलिखित अर्थ है:-

i. “लागू कानून” से तात्पर्य उन कानूनों और भारत में कानून की शक्ति वाले उन अन्य साधनों से है जो समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं |

ii. “एजेंसी” से तात्पर्य उस चयनित एजेंसी से है जो खेल विभाग को सेवाएं/उत्पाद प्रदान करने के लिए संविदा पर हस्ताक्षर करेगी |

iii. “मीडिया समिति” का तात्पर्य उस समिति से है जो इस कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए खेल विभाग द्वारा गठित की गई है |

iv. “एजेंसी” का तात्पर्य उस निकाय अथवा व्यक्ति से है जो संविदा के अंतर्गत खेल विभाग को सेवाएं उपलब्ध कराता है |

v. “संविदा” से तात्पर्य उस संविदा से है जो दो पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित है और सभी संविदा संबंधी दस्तावेज संविदा के खंड-1 में सूचीबद्ध हैं |

vi. “दिन” का तात्पर्य कैलेंडर के दिन से है |

vii. “प्रभावी तारीख” का तात्पर्य उस तारीख से है जिसको यह संविदा लागू हो जाती है |

viii. “सरकार” से तात्पर्य भारत सरकार से है |

ix. “भारतीय मुद्रा” से तात्पर्य भारतीय रुपयों से है |

x. “लिखित में” से तात्पर्य प्राप्ति के प्रमाण सहित लिखित रुप में संप्रेषित से है |

xi. “परिसमापित क्षति” यह “एलडी” के रुप में विनिर्दिष्ट की जा सकती है |

xii. “स्थानीय मुद्रा” से तात्पर्य भारतीय रुपयों से है |

xiii. “एलओआई” से तात्पर्य खेल विभाग द्वारा मीडिया एजेंसियों को भेजे गए निमंत्रण पत्र से है |

xiv. “एलओए” खेल विभाग द्वारा जारी किए गए पुरस्कार पत्र से है जिसमें सफल एजेंसी के प्रस्ताव की अपनी स्वीकृति संप्रेषित की गई है |

xv. “सदस्य” से तात्पर्य किसी ऐसे निकाय से है जो पंजीकृत संयुक्त उद्यम/संकाय/संघ का गठन करता है और “सदस्यों” से तात्पर्य इन सभी निकायों से है |

xvi. “पक्ष” से तात्पर्य खेल विभाग अथवा एजेंसी, जैसा भी मामला हो, से है तथा “पक्षों” से तात्पर्य इन दोनों से है |

xvii. “कार्मिक” से तात्पर्य एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए पेशेवरों और सहायक स्टाफ से है और उसे सेवाएं अथवा इसके किसी भाग को करने के लिए तैनात किया गया है, “विदेशी कार्मिक” से तात्पर्य ऐसे पेशेवरों और सहायक स्टाफ से है जिन्हें उपलब्ध कराते समय उनका निवास देश से बाहर था, “स्थानीय कार्मिक” से तात्पर्य ऐसे पेशेवरों और सहायक स्टाफ से है जिन्हें उपलब्ध कराते समय, उनका निवास देश में ही था |

xviii. “प्रस्ताव” में तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव दोनों शामिल हैं |

xix. “आरपीएफ” से तात्पर्य एजेंसी के चयन हेतु खेल विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव हेतु अनुरोध से है |

xx. “सेवाएं” से तात्पर्य संविदा के अनुरुप एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्य से है |

xxi. “सब एजेंसी” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय से है जिसे एजेंसी सेवाओं का कोई भाग खेल विभाग के अनुमोदन से संविदा पर देती है |

xxii. “तृतीय पक्ष” से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय से है जो खेल विभाग अथवा एजेंसी अथवा सब-एजेंसी से अलग है |

1.2 पक्षों के बीच संबंध

यहाँ समाहित किसी भी चीज को खेल विभाग और एजेंसी के बीच मालिक और नौकर अथवा प्रधान और एजेंट के संबंध को स्थापित करना नहीं माना जाएगा | एजेंसी के पास इस संविदा के अधीन सेवा प्रदान कर रहे व्यक्तियों और सब-एजेंसियों, यदि कोई है, का संपूर्ण प्रभार है और वह अपनी ओर से उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगी | केवल एजेंसी ही अपनी सब-एजेंसी को पारिश्रमिक और अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी | खेल विभाग इस प्रयोजन के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा |

1.3 **कानून शासी संविदा:**

यह संविदा, इसका तात्पर्य और व्याख्या, और पक्षों के बीच संबंध भारत में लागू कानूनों द्वारा शासित किए जाएंगे |

1.4 **शीर्षक:** शीर्षक इस संविदा के अर्थ को सीमित, परिवर्तित अथवा प्रभावित नहीं करेगा |

1.5 **नोटिस:**

1.5.1 कोई भी नोटिस, अनुरोध अथवा सहमति जो इस संविदा के अनुसरण में दी जानी अथवा की जानी अपेक्षित अथवा अनुमत हैं, लिखित में होंगी | ऐसा कोई नोटिस, अनुरोध अथवा सहमति दी जानी अथवा की जानी तभी संभव होगी, जब वह उस पक्ष के प्राधिकृत प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ सुपुर्द की जाए जिसके पते पर वह संप्रेषित हो अथवा जब वह पंजीकृत डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाए:-

सुश्री दीपिका कच्छल, निदेशक (खेल)
खेल विभाग,
कमरा सं0 517 "सी" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110011

मीडिया एजेंसी का प्रतिनिधि और उसका पता

1.5.2 एक पक्ष निम्नलिखित पते पर अन्य पक्ष को लिखित में नोटिस लिखकर अथवा ऐसे परिवर्तन के लिए नोटिस द्वारा अपने पते को बदल सकता है:-

सुश्री दीपिका कच्छल, निदेशक (खेल)
खेल विभाग,
कमरा सं0 517 "सी" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110011

मीडिया एजेंसी का प्रतिनिधि और उसका पता

1.6 **प्राधिकृत प्रतिनिधिः**

खेल विभाग अथवा एजेंसी द्वारा की जाने वाली अपेक्षित तथा अनुमत कोई भी कार्रवाई, इस संविदा के अंतर्गत निष्पादित किया जाने वाला अपेक्षित तथा अनुमत कोई दस्तावेज अथवा उसमें कोई संशोधन निम्नलिखित अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है:-

सुश्री दीपिका कच्छल, निदेशक (खेल)
खेल विभाग,
कमरा सं0 517 "सी" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110011

मीडिया एजेंसी का प्रतिनिधि और उसका पता

1.7 **कर तथा शुल्कः**

फर्म भारत के कानूनों के अंतर्गत लगाए गए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, शुल्कों, फीस तथा अन्य प्रत्यारोपित करों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय लागू होंगे और उनमें कोई परिवर्तन खंड-5.2 के अनुसार किया जाएगा |

1.8 धोखा और भ्रष्टाचार

1.8.1 **परिभाषाएं:** यह अपेक्षा करना खेल विभाग की नीति है कि खेल विभाग और एजेंसी संविदा के निष्पादन के दौरान नीति शास्त्र के उच्चतम स्तर को अपनाए | इस नीति के अनुसरण में, इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए, खेल विभाग निम्नलिखित निश्चित की गई निम्नलिखित शर्तों को परिभाषित करता है:-

(i) "भ्रष्ट व्यवहार" से तात्पर्य चयन प्रक्रिया अथवा संविदा के निष्पादन में जन अधिकारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्यवान (नकद या वस्तु में) चीज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रदान करना, प्राप्त करना अथवा उसके लिए प्रार्थना करना है;

(ii) "धोखे के व्यवहार" से तात्पर्य चयन प्रक्रिया अथवा संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत अथवा उन्हें समाप्त कर देना है;

(iii) "कपटी व्यवहार" से तात्पर्य खेल प्रभाग की जानकारी अथवा बिना जानकारी से दो अथवा अधिक एजेंसियों के बीच योजना अथवा व्यवस्था से है जो कृत्रिम, गैर-प्रतियोगितात्मक स्तरों पर मूल्य स्थापित करने के लिए विरुपित की गई है;

(iv) "अवपीड़क व्यवहार" से तात्पर्य व्यक्तियों अथवा उनकी संपत्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नुकसान पहुंचाने के लिए नुकसान करना अथवा धमकी देना है ताकि खरीद प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को प्रभावित किया जा सके अथवा इस संविदा के निष्पादन को प्रभावित किया जा सके |

1.8.2 **खेल विभाग द्वारा किए जाने वाले उपाय**

क) खेल विभाग इस संविदा को समाप्त कर सकता है यदि उसकी जानकारी में किसी भी समय यह बात आए कि चयन प्रक्रिया अथवा संविदा के निष्पादन के दौरान एजेंसी के प्रतिनिधि भ्रष्ट, धोखापूर्ण, कपटी अथवा अवपीड़क व्यवहार में संलिप्त थे, यदि इस प्रयोजन की जानकारी प्राप्त होने के बाद स्थिति के उपचार के रुप में एजेंसी ने खेल विभाग के साथ समयबद्ध एवं उपयुक्त कार्रवाई संतोषजनक ढंग से नहीं की है |

ख) खेल विभाग एजेंसी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के बाद एजेंसी के खिलाफ प्रतिबंध भी लगा सकता है, संविदा प्रदान करने के लिए या तो अनिश्चित काल के लिए या निर्धारित समय के लिए एजेंसी को अपात्र घोषित कर सकता है; यदि किसी भी समय यह बात जानकारी में आती है कि एजेंसी प्रत्यक्ष रुप से अथवा किसी एजेंट के जरिए भ्रष्ट, धोखापूर्ण, कपटी अथवा अवपीड़क व्यवहार में खेल विभाग द्वारा वित्त पोषित संविदा(ओं) की प्रतियोगिता अथवा उनके निष्पादन के लिए संलग्न है |

2. <u>संविदा का प्रारंभ, पूर्णतः, संशोधन और समापन</u>

संविदा का प्रभावः यह संविदा----------, 2009 से, संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद प्रभावी हो जाएगी |

प्रभावी न होने के कारण संविदा का समापनः संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद 7 दिनों के अंदर-अंदर यदि संविदा प्रभावी नहीं होती, तो कोई भी पक्ष, अन्य पक्ष को कम से कम इक्कीस (21) दिनों का लिखित नोटिस देकर, इस संविदा को नगण्य घोषित कर सकता है और किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी घोषणा की स्थिति में, कोई भी पक्ष इस संदर्भ में अन्य पक्ष के खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा |

सेवाओं का प्रारंभः एजेंसी तत्काल सेवाएं प्रारंभ कर देगी परंतु संविदा के अनुमोदन की तारीख के बाद नहीं |

संविदा का अंतः एजेंसी सारे कार्य को ------- दिनों में पूरा करेगी जिसे खेल विभाग के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है | तथापि एजेंसी पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी |

समूचा करारः इस संविदा में वे सभी प्रतिज्ञा पत्र, अनुबंध और प्रावधान शामिल हैं जिन पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं | किसी भी पक्ष के किसी एजेंट अथवा प्रतिनिधि को यह प्राधिकार नहीं है कि वह कोई ऐसा वक्तव्य, प्रस्तुतीकरण, वादा अथवा करार तैयार करें जो इसमें नहीं दिया गया है और कोई भी पक्ष इसके लिए बाध्य अथवा जिम्मेदार नहीं होगा |

2.6 **संशोधन तथा परिवर्तन** :

(क) सेवाओं के क्षेत्र के किसी संशोधन अथवा परिवर्तन सहित इस संविदा की शर्तो में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन पक्षों के बीच केवल लिखित अनुबंध के द्वारा किया जा सकता है तथापि, प्रत्येक पक्ष किसी भी पक्ष द्वारा किए गए

संशोधन अथवा परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव और उस पर लागत संबंधी विविक्षा पर पर्याप्त ध्यान देगा ।

(ख) पर्याप्त संशोधानों अथवा परिवर्तनों के मामलों में, खेल विभाग और एजेंसी के बीच अनुपूरक अनुबंध अपेक्षित है ।

2.7 अनिवार्य बाध्यता

2.7.1 परिभाषा

(क) इस संविदा के लिए "अनिवार्य बाध्यता" से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जो एक पक्ष के तर्कसंगत निर्णय से परे है, जिसका पहले से अनुमान नहीं है, अपरिहार्य है और उस पक्ष अथवा उसके आग्रह पर नहीं लायी जा रही है जो ऐसी स्थितियों से प्रभावित होने का दावा करता हो और जो गैर निष्पादन अथवा निष्पादन में विलंब करती हो, और जो यहां पक्ष के कर्तव्यों के प्रदर्शन को असंभव अथवा इतना अव्यवहारिक बना देती हो कि इन हालातों में तर्कसंगत भी अवंभव समझे जाए और उसमें युद्ध, दंगे, नागरिक अव्यवस्था, भूकंप, अग्नि, विस्फोट, तूफान, बाढ़ अथवा अन्य अतिप्रतिकूल मौसम संबंधी हालत, हड़ताल, तालेबंदी अथवा अन्य औद्योगिक कार्रवाई (जहां ऐसी हड़ताले, तालेबंदी अथवा अन्य औद्योगिक कार्रवाई विवाद के लिए पक्ष द्वारा लगायी गई अनिवार्य बाध्यता की शक्ति के अंतर्गत है, को छोड़कर), जालसाजी अथवा सरकारी एजेन्सियों द्वारा कोई अन्य कार्रवाई शामिल हो परंतु यहां तक सीमित न हो ।

(ख) अनिवार्य बाध्यता में संविदाकार पर हस्ताक्षर के समय (i) कोई ऐसी घटना जो एजेन्सियों की लापरवाही अथवा पक्ष के जानबूझकर किए गए कार्य अथवा ऐसे पक्ष की सब एजेंसियों अथवा एजेंटों अथवा कर्माचारियों द्वारा हुई हो (ii) कोई ऐसी घटना जिसकी मेहनती पक्ष ने तर्कसंगत रूप से आशा की हो, दोनों शामिल नहीं होगी और कर्तव्यों का पालन करने में पुरजोर सतत प्रयासों के साथ इन घटनाओं को नकारा जाएगा अथवा इस पर काबू पाया जाएगा ।

(ग) अनिवार्य बाध्यता में धनराशि अथवा मानवशक्ति की अपर्याप्तता अथवा इस संविदा के अंतर्गत सेवाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक किसी भुगतान को न करने की अक्षमता शामिल नहीं है ।

2.7.2 **संविदा का न टूटना** : यहां दर्शाए गए किसी भी अपने कर्तव्य को एक पक्ष द्वारा पूरा न किए जाने को इस संविदा के अंतर्गत संविदा का टूटना अथवा दोष

नहीं माना जाएगा यदि यह अक्षमता अनिवार्य बाध्यता की किसी घटना के कारण उत्पन्न होती है, बशर्ते कि ऐसी घटना के द्वारा प्रभावित पक्ष ने इस संविदा की शर्तों का पालन करने के उद्देश्य से सभी संभव सावधानियां बरती हों, पर्याप्त देखभाल और सभी उपाय किए हों ।

2.7.3 **किए जाने वाले उपाय** :

(क) अनिवार्य बाध्यता से प्रभावित पक्ष संविदा के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को निभाना तब तक जारी रखेगा जब तक यह तर्कसंगत रूप से व्यावहारिक होगा और अनिवार्य बाध्यता की किसी घटना के परिणामों को कम करने के लिए सभी तर्कसंगत उपाय करेगा ।

(ख) अनिवार्य बाध्यता की घटना से प्रभावित पक्ष जितना जल्दी संभव होगा ऐसी घटना को अन्य पक्ष के लिए अधिसूचित करेगा और किसी भी मामले में ऐसी घटना घटित होने के बाद चौदह (14) दिन पहले, ऐसी घटना की प्रकृति और कारण के पर्याप्त और संतोषजनक साक्ष्य उपलब्ध कराएगा और इसी प्रकार जितना जल्दी संभव होगा सामान्य स्थिति बहाल करने का लिखित नोटिस देगा ।

(ग) इस संविदा के अनुकरण में, कोई अवधि जसमें एक पक्ष किसी कार्रवाई अथवा कार्य को पूरा करता है, उस समय के बराबर बढ़ा दी जाएगा जिसके दौरान ऐसा पक्ष अनिवार्य बाध्यता के कारण ऐसी कार्यवाई करने में अक्षम रहा था ।

(घ) अनिवार्य बाध्यता की घटना के कारण सेवाओं को न कर सकने की अपनी अक्षमता की अवधि के दौरान, एजेंसी खेल विभाग के अनुदेशों पर जहां तक संभव होगा या तो (i) सेवाओं को रोक देगी अथवा (ii) जारी रखेगी, जिस भी मामले में खेल विभाग संतुष्ट होगा, वह इस संविदा की शर्तों के अंतर्गत यथानुपात आधार पर एजेंसी को आनुपातिक रूप से भुगतान करना जारी रखेगा ।

(ड़) अनिवार्य बाध्यता के अस्तित्व अथवा उसमें विस्तार के कारण पक्षों के बीच असहमति के मामलें में मामले को खंड 8 के अनुसार सुलझा लिया जाएगा ।

2.8 **निलंबन** :खेल विभाग, एजेंसी को निलंबन का लिखित नोटिस देकर एजेंसी द्वारा ऐसे निलंबन नोटिस की प्राप्ति अधिकतम तीस (30) दिनों की अवधि के अंतर्गत एजेंसी को सभी भुगतान निलंबित कर सकता है यदि एजेंसी इस संविदा के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल हो जाती है, जिसमें सेवाओं का अनुपालन भी शामिल है बशर्ते कि ऐसा निलंबन नोटिस (i)

असफलता की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करें और (ii) एजेंसी को ऐसी असफलता के उपचार की अनुमति दे यदि वह उपचार के योग्य है ।

2.9 **समापन**

2.9.1 **खेल विभाग द्वारा** : खेल विभाग इस खंड के (क) से (ज) पैरा में विनिर्दिष्ट किसी भी घटना के होने के मामले में इस संविदा को समाप्त कर सकता है ।

(क) यदि एजेंसी नीचे दर्शाए गए अपने कर्तव्यों जो खेल विभाग द्वारा जारी नोटिस में दर्शाए गए हैं, के निष्पादन में असफल होने का उपचार करने में ऐसे नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अथवा ऐसी आगे की अवधि के अंदर जो खेल विभाग ने बाद में लिखित में दी हो, सफल नहीं होती ।

(ख) यदि एजेंसी दिवालिया हो जाए अथवा अनिवार्य स्वैच्छिक रूप से समाप्त हो जाए अथवा ग्राही हो जाए ।

(ग) यदि एजेंसी खेल विभाग के निर्णय में इस संविदा की प्रतियोगिता में अथवा इसके निष्पादन में भ्रष्ट अथवा धोखें के व्यवहार में संलिप्त है ।

(घ) यदि एजेंसी खेल विभाग को झूठा विवरण प्रस्तुत करती है जिसका खेल विभाग के अधिकारों, कर्तव्यों अथवा हितों पर भौतिक प्रभाव है ।

(ड़) यदि एजेंसी अपने आप को हित के विवाद में उलझा देती है अथवा खेल विभाग को किसी हित के विवाद की सूचना शीघ्रता से नहीं बता पाती ।

(च) यदि एजेंसी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में असफल रहती है जैसा कि इस संविदा में परिकल्पित है । कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए बनाई गई मीडिया समिति सेवाओ की कम गुणवत्ता के बारे में निर्णय कर सकती है जिसके कारणों को लिखित में रिकार्ड किया जाएगा । मीडिया समिति सेवाओ की गुणवत्ता में सुधार के लिए एजेंसी को एक अवसर देने का निर्णय ले सकती है ।

(छ) यदि अनिवार्य बाध्यता के परिणामस्वरूप, एजेंसी कम से कम चालीस (40) दिनों की अवधि के लिए सेवाओं के सामग्री अंश के निष्पादन में अक्षम हैं ।

(ज) यदि खेल विभाग, केवल अपने विवेक पर और किसी भी कारण से, इस संविदा को समाप्त करने का निर्णय लेता है ।

ऐसी स्थिति में, खेल विभाग एजेंसी के साथ संविदा समाप्त करने से पहले कम से कम पंद्रह (15) दिनों का लिखित नोटिस देगा, उल्लिखित घटना के मामले में पत्र की प्राप्ति की तारीख से सात (7) दिनों का ।

2.9.2 **एजेंसी द्वारा** : एजेंसी इस खंड के पैरा (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट किसी भी घटना के होने की स्थिति में खेल विभाग को कम से कम पंद्रह (15) दिनों का

लिखित नोटिस देकर यह संविदा समाप्त कर सकती है ।

(क) यदि खेल विभाग इस संविदा का अनुसरण करने वाली एजेंसी को एजेंसी से प्राप्त इस आशय के लिखित नोटिस कि भुगतान में देर हो चुकी है, को प्राप्त करने के बाद 10 दिनों के अंदर-अंदर किसी देय राशि का भुगतान करने में असफल हो जाता है और जो खंड-8 के अनुसरण में विवाद का विषय नहीं है ।

(ख) यदि अनिवार्य बाध्यता के कारण, स्वैच्छिक रूप से समाप्त हो जाए अथवा ग्राही हो जाए ।

(ग) यदि खेल विभाग खंड 8 के अनुसरण में पंचाट के परिणामस्वरूप किसी अंतिम निर्णय का अनुपालन करने में असफल होता है ।

(घ) यदि खेल विभाग इस संविदा के अनुसरण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने की स्थिति में है और इस प्रकार कर्तव्यों का निर्वहन करने को दर्शानेवाले एजेंसी के नोटिस को खेल विभाग द्वारा प्राप्त करने के बाद वह पैंतालीस (45) दिनों (अथवा इस प्रकार की लंबी अवधि जिसे एजेंसी ने बाद में लखित में अनमोदित किया हो) के अंदर-अंदर उसका उपचार न कर पाया हो ।

2.9.3 **अधिकारों और कर्तव्यों का अवसान** : खंड 2.2 अथवा 2.9 के अनुसरण में इस संविदा के समाप्त होने पर अथवा खंड 2.4 के अनुसरण में इस संविदा की समाप्ति पर, यहां वर्णित पक्षों के सभी अधिकार और कर्तव्य समाप्त हो जाएंगे, सिवाय (i) ऐसे कर्तव्यों और अधिकारों के जो परिसमापन अथवा समाप्ति की तारीख को स्वीकार किए गए हैं (ii) खंड 3.3 में निर्धारित गोपनीय कर्तव्यों के (iii) अनुसरण अथवा परिसमापित नुकसानों के भुगतान, अनुमति निरीक्षण, उनके लेखों और रिकार्डो की नकल करने और लेखापरीक्षा करने के जैसा कि खंड 3.6 में निर्धारित है और (iv) किसी अधिकार के जो पक्ष के पास लागू कानून के अंतर्गत हो सकता है ।

2.9.4 **सेवाओं का अवसान** : खंड 2.2, 2.9.1 अथवा 2.9.2 के अनुसरण में किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को नोटिस देकर इस संविदा के समापन पर, एजेंसी तत्काल ऐसे नोटिस की प्राप्ति और प्रेषण पर, सेवाओं को बंद करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है । एजेंसी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों, खेल विभाग द्वारा भेजे गए उपस्करों और सामग्री के संदर्भ में, एजेंसी क्रमशः खंड 3.9 अथवा 3.10 के अनुसार कार्रवाई करेगी ।

2.9.5 **समाप्ति पर भुगतान** : खंड 2.2, 2.9.1 अथवा 2.9.2 के अनुसरण में इस संविदा के समाप्त होने पर खेल विभाग एजेंसी को भुगतान करेगा यदि वे निम्नलिखित तरीके से आवश्यक हैं ।

(क) यदि करार खंड 2.9 (क) से (ज) के अनुसरण में समापत होता है, तो एजेंसी संविदा की समाप्ति पर किसी सहमत भुगतान को प्राप्त करने की हकदार भी होंगी । तथापि, खेल विभाग इसके द्वारा आकलित क्वांटम मैरिट के आधार पर निष्पादित संतोषजनक सेवाओं के लिए आंशिक भुगतान करने पर विचार कर सकता है, यदि ऐसा अंश खेल विभाग की आर्थिक उपयोगिता का है जो इसकी देय की वसूली के अधीन है, यथा ग्राह्य ऐसे हालतों में समाप्ति पर, खेल विभाग खंड 9 के प्रावधानों के अनुसार परिसमापित नुकसान को भी आरोपित कर सकता है । एजेंसी को समापन तारीख के 15 दिनों के अंदर अंदर ऐसे परिसमापित नुकसान और क्षतिपूर्ति खेल विभाग को भुगतान करने होंगे जो संविदा अधिनियम के अंतर्गत यथाग्राह्य है ।

2.9.6 **समाप्ति की घटनाओं के बारे में विवाद** : यदि कोई पक्ष यह विवाद करता है कि क्या खंड 2.9.1 के पैरा (क) से (छ) में अथवा 2.9.2 में विनिर्दिष्ट घटना हुई है तो ऐसा पक्ष खंड 8 के अंतर्गत निपटान की मांग कर सकता है यदि यह चयन अन्य पक्ष से समाप्ति के नोटिस की प्राप्ति के बाद पंद्रह (15) दिनों के अंदर किया जाता है ।

3 फर्म के कर्तव्य

3.1 सामान्य

निष्पादन का स्तर : एजेंसी सामान्य रूप से स्वीकृत पेशेवर मानकों और व्यवहार के अनुसार पर्याप्त मेहनत, दक्षता और मितव्ययता से अपनी सेवाओं का निष्पादन करेगी और अपने कर्तव्यों का पालन करेगी और उपयुक्त प्रौद्योगिकी और सुरक्षित तथा प्रभावी उपस्कार, मशीनरी, सामग्री और प्रक्रियाओं को लागू करेगी । एजेंसी संविदा से संबंधित किसी मामले अथवा सेवाओं के संदर्भ में खेल विभाग के निष्ठापूर्ण सलाहकार के रूप में कार्य करेगी और सब फर्मो अथवा तृतीय पक्ष के साथ किसी भी व्यवहार में खेल विभाग के कानूनी हित का हर समय समर्थन व रक्षा करेगी ।

3.2 **वित्त का विवाद** : एजेंसी किसी भावी फर्म पर विचार किए बिना खेल विभाग के हितों को सर्वोपरि रखेगी और अन्य कार्यों अथवा उनके अपने निगमित हित के साथ हित के विवादों को सख्ती से दूर करेगी ।

3.2.1 **फर्म दलाली, बट्टे आदि से लाभ नही लेगी** :

(क) खंड 6 के अनुसरण में एजेंसी को भुगतान इस संविदा के संबंध में एजेंसी का एकमात्र भुगतान होगा । एजेंसी अपने लाभ के लिए इस संविदा के अनुसरण में गतिविधियों के संबंध में अथवा कर्तव्यों के निर्वहन में कोई व्यापार संबंधी दलाली, बट्टा व इस प्रकार का भुगतान स्वीकार नहीं करेगी अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी कि सब एजेंसियों, एवं उनके कार्मिक और एजेंट उनमें कोई भी , इसी प्रकार की दलाली अथवा बट्टे आदे के कारण कोई ऐसा आंतरिक भुगतान स्वीकार नहीं करेगा ।

3.2.2 **एजेंसी और उससे संबद्ध कुछ गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे** :
एजेंसी इस बात से सहमत है कि इस संविदा की अवधि के दौरान इसकी समाप्ति के बाद, एजेंसी और एजेंसी से संबद्ध कोई निकाय और सब एजेंसी और ऐसी सब एजेंसी के साथ संबद्ध कोई निकाय सामग्री, कार्य सेवाओं को प्रदान करने से अयोग्य कर दिए जाएंगे जो एजेंसी की सेवाओं की तैयारी अथवा परियोजना के कार्यान्वयन से सीधे संबंधित होंगे अथवा उनके कारण अस्तित्व में रहेंगे ।

3.2.3 **विवाद वाली गतिविधियों का निषेध** : एजेंसी स्वंय, और अपने कार्मिकों को तथा अपनी सब एजेंसी को और उनके कार्मिकों ऐसी कारोबारी अथवा व्यावसायिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं करेगी जिससे इस संबंध के अंतर्गत उनको सौंपी गयी गतिविधियों के साथ विवाद हो ।

3.3 **गोपनीयता** : सिवाय खेल विभाग की पूर्व लिखित सहमति के, एजेंसी और कार्मिक किसी भी समय किसी भी व्यक्ति अथवा निकाय से सेवाओं के दौरान कोई गोपनीय सूचना प्राप्त करने हेतु संपर्क नहीं करेंगे, एजेंसी और उसके कार्मिक इस दौरान तैयार की गई अथवा सेवाओं के कारण सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं करेंगे ।

3.4 **एजेंसी की जिम्मेदारी** : अतिरिक्त प्रावधान के अधीन, यदि कोई है, इस संविदा के अंतर्गत एजेंसी की जिम्मेदारी लागू कानून के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।

3.5 **एजेंसी द्वारा लिया जाने वाला बीमा** : एजेंसी (i) अपनी लागत पर अथवा सब एजेंसी की लागत पर जो भी लागत होगी) बीमा लेगी और उसका अनुसरण करेगी तथा किसी सब एजेंसी को बीमा लेने और उसके अनुसरण के लिए तैयार करेगी, परंतु जोखिम के खिलाफ बीमा और विनिर्दिष्ट कवरेज के लिए खेल विभाग द्वारा अनुमोदित शर्तो पर और (ii) खेल विभाग के अनुरोध पर खेल विभाग को साक्ष्य उपलब्ध कराएगी जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि ऐसा बीमा लिया गया है और उसका अनुसरण किया गया हे और इसलिए चालू प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया है ।

3.6 **लेखांकन, निरीक्षण और लेखा परीक्षा** : एजेंसी (i) अंतरराष्ट्रीय रूप में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार, इस संविदा के अनुसार, उत्पादों तथा की गई सेवाओं के संदर्भ में लेखों तथा रिकार्डो को सही और सुव्यवस्थित रूप से रखेगी तथा इस प्रकार इनका रूप और ब्यौरा सभी संबंधित समय परिवर्तनों और लागतों तथा उनके आधारों को स्पष्ट रूप से पहचान (ii) और खेल विभाग, अथवा इसके पदनामित प्रतिनिधि और/अथवा खेल विभाग को जरूरत पड़ी तो इस संविदा की समाप्ति अथवा परिसमापित से पांच वर्षो तक उनका निरीक्षण करने और उनकी कापी करने और खेल विभाग द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी लेखा परीक्षण यदि एनडीएफए द्वारा जरूरत पड़ती है अथवा जो भी मामला हो, की अनुमति देगी ।

3.7 **खेल विभाग के पूर्व अनुमोदन की प्राप्ति के लिए एजेंसी की कार्रवाई** : निम्नलिखित कोई भी कार्रवाई करने से पहले, एजेंसी लिखित में खेल विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी :

(क) अनुबंध-2 पर संलग्न अनुमोदित भाषा में कोई परिवर्ततन अथवा परिवर्धन ।

(ख) उपवसंविदा : एजेंसी सेवाओं से संबंधित कायर्च को एक सीमा तक ऐसे विशेषज्ञों और निकायों को आगे संविदा पर दे सकती है जो पहले से ही "खेल विभाग" द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं । ऐसे अनुमोदन के बावजूद एजेंसी की सेवाओं के लिए पूर्ण जिम्मेदारी होगी । उन स्थिति में जब कोई सब एजेंसी खेल विभाग द्वारा उनको सौंपी गई ड्यूटी को निपटाने में अक्षम और अयोग्य पायी जाती है , तो खेल विभाग एजेंसी को प्रतिस्थापन के लिए अनुरोध कर सकता

है, जिसकी योग्यता और अनुभव खेल विभाग को स्वीकार्य होगे अथवा वह उसकी सेवाओं के निष्पादन को स्वंय दे दे ।

3.8 **कर्तव्यों का प्रतिवेदन** : एजेंसी खेल विभाग को अनुबंध-1 में विनिर्दिष्ट सुपुर्द किए जाने वाले मदों को प्रस्तुत करेगी और उपरोक्त अनुबंध-1 में निश्चित समयावधि के अंदर-अंदर उत्पादों की सुपुर्दगी अनुबंध-1 के पैरा 3 में समाहित प्रावधानों के अनुसार होगी ।

3.9 **एजेंसी द्वारा तैयार किए गए उत्पाद खेल विभाग की संपत्ति होंगे** : इस संविदा के अंतर्गत खेल विभाग के लिए एजेंसी द्वारा तैयार किए गए भाषाओं के सभी वीडियों और आडियो स्पोट, सिग्नेचर ट्यून, कट डाउन और बायस आवर खेल विभाग की संपत्ति होगी और रहेगी तथा एजेंसी इस संविदा के परिसमापन अथवा समापन के बाद खेल विभाग को ऐसे दस्तावेजों/उत्पादों को सुपुर्द नहीं करेगी । एजेंसी ऐसे उत्पादों की प्रति रख सकती है परंतु खेल विभाग की लिखित अनुमति लिए बिना कहीं भी उसका उपयोग नहीं करेगी और खेल विभाग ऐसी अनुमति प्रदान करने अथवा मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के विकास के प्रयोजन के लिए एजेंसी तथा तृतीय पक्ष के बीच लाइसेंस अनुबंध आवश्यक अथवा उपयुक्त है, तो एजेंसी ऐसे अनुबंधों के लिए खेल विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी, और एनडीएफए को अपने विवेक पर हक होगा कि वह संबंधित कार्यक्रमों के विकास से संबंधित व्यय की वसूली प्राप्त करे । परियोजना के लिए खरीदा गया कोई भी साफ्टवेयर/हार्डवेयर भी खेल विभाग की संपत्ति होगा । यदि कोई भी सामान बेचा जाता है अथवा नीलाम किया जाता है, उसका श्रेय एजेंसी द्वारा खेल विभाग को दिया जाएगा ।

3.10 **"खेल विभाग" द्वारा भेजे गए उपस्कर, वाहन अथवा सामग्री** : "खेल विभाग" द्वारा एजेंसी को उपलब्ध कराए गए उपस्कर, वाहन और सामग्री अथवा "खेल विभाग" उपलब्ध करायी गयी धनराशि से पूर्ण या आंशिक रूप से एजेंसी द्वारा खरीदे गए उपस्कर, वाहन और सामग्री "खेल विभाग" की संपत्ति होगी और तदनुसार चिन्हित की जाएगी । इस संविदा के परिसमापन अथवा समापन पर, एजेंसी "खेल विभाग" को ऐसे उपस्करों और वाहनों को "खेल विभाग" के अनुदेशों के अनुसार निपटाएगी । ऐसे उपस्करों, वाहनों और सामग्री को अधिकार में रखते समय, एजेंसी अन्यथा लिखित में "खेल विभाग" से अनुदेश नहीं मिलते,

"खेल विभाग" के व्यय पर उनका बीमा करवाएगी जो उनके पूर्ण प्रतिस्थापन मूल्य की धनराशि के बराबर होगा ।

4 **<u>एजेंसी के कार्मिक और सब एजेंसी</u>**

4.1 **<u>सामान्य</u>** : एजेंसी अपनी लागत पर ऐसे योग्य और अनुभवी कार्मिकों को तैनात करेगी तथा उपलब्ध कराएगी जो परियोजना के सफल समापन के लिए जरूरी है तथा सब एजेंसियोकं से अपेक्षा की जाती ीै कि वे उनसे मांगी गई सेवाओं का पालन करें ।

4.2 **<u>कार्मिक का वर्णन</u>** :

सेवाओं के पालन में एजेंसी के प्रत्येक मुख्य कार्मिक की पदवी, सहमत कार्य वर्णन, न्यूनतम योग्यता और अनुबंध की अनुमानित अवधि एजेंसी के प्रस्ताव के अनुसार है ।

5 **<u>खेल विभाग के कर्तव्य</u>**

5.1 **सहायता और छूट** : जब तक विनिर्दिष्ट न किया जाए, खेल विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा कि यह :

(क) सब एजेंसी और कार्मिक सहित एजेंसी को वर्क परमिट और ऐसे अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा जो एजेंसी, सब एजेंसी अथवा कार्मिकों को सेवाओं के निष्पादन में सक्षम बनाने के लिए जरूरी होगी ।

(ख) एजेंसी के अधिकारियों, एजेंटों और प्रतिनिधियों के ऐसे अनुदेश जारी करेगा जो सेवाओं के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक और उपयुक्त है ।

(ग) एजेंसी, सब एजेंसी तथा कार्मिक को ऐसी अन्य सहायता प्रदान करेगा जिससे संविदा का निष्पादन सुविधाजनक हो सके ।

5.2 **करों तथा शुल्क से संबंधित लागू कानून में परिवर्तन** : यदि इस संविदा की तारीख के बाद, करों तथा शुल्क (अर्थात सेवा कर अथवा समय समय पर अन्य ऐसा लागू कर) के संदर्भ में लागू कानून में कोई परिवर्तन हुआ है जो सेवाओं को प्रदान करने के लिए एजेंसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान योग्य है, जो सेवाओं के निष्पादन में एजेंसी द्वारा खर्च की गई लागत को बढ़ाते अथवा घटाते

हैं, तो इस संविदा के अंतर्गत एजेंसी को अन्यथा भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक और और प्रतिपूर्ति व्यय पक्षों के बीच अनुबंध द्वारा तदनुसार बढ़ जाएगा अथवा घट जाएगा और खंड 6.1 में विनिर्दिष्ट अधिकतम मूल्य तक संगत समायोजन किया जाएगा ।

6 <u>एजेंसी को भुगतान</u>

6.1 **सेवाओं की कुल लागत** :

(क) प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली कुल लागत ....रू0 होगी जिसमें सेवा कर सहित डबिंग लागत भी होगी जैसा कि परिशिष्ट-3 में दिया गया है ।

(ख) खंड 2.6 के अंतर्गत अन्य या सहमत और खंड 6.1 के अधीन जो भी हो, के सिवाय इस संविदा के अंतर्गत भुगतान उपरोक्त (क) और इस संविदा के परिशिष्ट-3 में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक नहीं होगा ।

(ग) खंड 6.1 के बावजूद, यदि खंड 5.2 के अनुसरण में पक्ष इस पर सहमत होंगे कि आवश्यक अतिरिक्त व्यय को कवर करने के लिए जिसकी उपरोक्त खंड 6.1 (क) में लागत अनुमान में परिकल्पना नहीं की गई है, एजेंसी को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, खंड 6.1 (ख) में निर्धारित अधिकतम मूल्य ऐसी अतिरिक्त भुगतान की धनराशि से बढ़ा दिया जाएगा ।

6.2 **भुगतान की मुद्रा** : सभी भुगतान भारतीय रूपयों में किया जाएगा ।

6.3 **भुगतान की शर्तें** : सेवाओं के संदर्भ में भुगतान निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :

(क) सेवाओं के संदर्भ में भुगतान की अनुसूची इस संविदा के अनुबंध-3 के ब्यौरे के अनुसार होगी ।

(ख) एक बार उद्देश्य पूरा हो जाता है , तो एजेंसी अपेक्षित परिदेय प्रस्तुत करेगी जैसा कि इस संविदा में विनिर्दिष्ट किया गया है । खेल विभाग परिदेय की स्वीकृति पर अपेक्षित भुगतान जारी करेगा । तथापि, यदि खेल विभाग परिदेय की स्वीकृति को अथवा उसपर अपनी आपत्तियां को प्राप्ति की तारीख के सात (7) दिनों के अंदर-अंदर सूचित करने में असफल रहता है, तो खेल विभाग बिना और विलंब के एजेंसी को भुगतान जारी करेगा ।

(ग) **अंतिम भुगतान** : अंतिम भुगतान, जैसा कि अनुबंध "ग" में विनिर्दिष्ट है, अंतिम रिपोर्ट और अंतिम विवरण के बाद ही किया जाएगा, उसे एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और वह "खेल विभाग" द्वारा संतोषजनक ढंग से अनुमोदित होगा । सेवाएं "खेल विभाग" द्वारा पूरी मानी जाएगी ओर अंतिम रूप से स्वीकृत की जाएगी और अंतिम रिपोर्ट और अंतिम विवरण "खेल विभाग" द्वारा <u>अंतिम रिपोर्ट और अंतिम विवरण</u> प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर-अंदर खेल विभाग द्वारा संतोषजनक ढंग से अनुमोदित माना जाएगा, यदि "खेल विभाग" ऐसे तीस (30) दिनों कें अंदर-अंदर सेवाओं, <u>अंतिम रिपोर्ट अथवा अंतिम विवरण</u> में कमियों के ब्यौरे को विनिर्दिष्ट करते हुए एजेंसी को लिखित में सूचित न करे । एजेंसी तब उस पर जल्दी से आवश्यक सुधार करेगी तथा उसके बाद पहले वाली प्रक्रिया दोहरायी जाएगी । इस संविदा के प्रावधान के अनुसार कोई भी राशि जो खेल विभाग द्वारा भुगतान की गयी है अथवा जिसका भुगतान किया जाना है, एजेंसी को उसका नोटिस मिलने के बाद तीस (30) दिनों के अंदर-अंदर विभाग को एजेंसी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी । प्रतिपूर्ति के लिए "खेल विभाग" ऐसा कोई दावा उपरोक्त के अनुसार "खेल विभाग" द्वारा प्राप्ति के बाद तीस (30) दिनों के अंदर-अंदर अवश्य किया जाए । ....रू0 (सेवाकर सहित) की कुल धनराशि का 10 % अग्रिम भुगतान के समय समायोजित किया जाएगा ।

(घ) उपरोक्त खंड 6.3 के अंतर्गत भुगतान के प्रयोजन के लिए, स्वीकृति का तात्पर्य एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद खेल विभाग द्वारा परिदेय की स्वीकृति से है ।

(ड़) यदि एजेंसी द्वारा प्रस्तुत परिदेय खेल विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं है, इस प्रकार की अस्वीकृति के कारण लिखित में रिकार्ड किए जाने चाहिए, खेल विभाग एजेंसी को देय भुगतान जारी नहीं करेगा । यह खंड 9 के अंतर्गत किसी परिसीमित नुकसान पर कर लगाने के खेल विभाग के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है । ऐसे मामले में, एजेंसी को केवल तभी भुगतान जारी किया जाएगा जब वह खेल विभाग को स्वीकार्य रूप में परिदेय को पुनः प्रस्तुत कर दे ।

(च) इस संविदा के अंतर्गत सभी भुगतान एजेंसी के खातों में किए जाएंगे ।

(छ) उपरोक्त (ग) के अंतर्गत अंतिम भुगतान के अपवाद के साथ एजेंसी को किया गया भुगतान सेवाओं की स्वीकृति नहीं दर्शाता और नही एजेंसी को किसी कर्तव्य से मुक्त करता है, जब तक कि खेल विभाग एजेंसी को लिखित में स्वीकृति संप्रेषित नहीं करता और एजेंसी ने खेल विभाग की टिप्पणियों/सुझावों के अनुसार परिवर्तन न किए हों ।

(ज) संविदा के समय अवधि से पहले समाप्त होने की स्थिति में एजेन्सी को निम्नलिखित के आधार पर भुगतान किया जाएगा ;

(झ) पिछले कार्य पर किए गए कार्य, जिसके लिए भुगतान किया गया है या समाप्ति की तारीख तक किया जाना है , के आधार पर निर्धारण किया जाए । एजेन्सी सहायक दस्तावेजों के साथ उन व्यैक्तियों का ब्यौरा देगी जिन्होंने एक अवधि के दौरान कार्य किया है । खेल विभाग के पास संविदा के अंतर्गत बकाया को समायोजित/नुकसान वसूली/क्षतिपूर्ती तथा परिसमापन क्षति का हक है । संविदा में अन्यथा उल्लिखित किसी विपरीत बात के न होते हुए इस संविदा के अंतर्गत एजेन्सी की कुल देयता, चाहे दावे का रूप जिसमें कार्यान्यन चरण पर उत्पन्न कोई दाता शामिल है, कुछ भी हो, एजेन्सी को दी गई राशि से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ञ) एजेन्सी द्वारा इस संबंध में दिए गए ब्यौरे तथा किए गए कार्य और प्रदान की गई संबंधित दर के आधार पर प्रतिपूर्ती तथा विविध व्यय का तर्कसंगत निर्धारण किया जाएगा । जहां एसे निर्धारण में कठिनाई हो वहां दर आनुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएगी । भुगतान की कुल राशि उपर्युक्त (i) तथा (ii) और मान्य कर का योग होगी ।

7. **निष्पक्षता तथा परस्पर विश्वास**

7.1 **परस्पर विश्वास** : दोनों पक्ष संविदा के अंतर्गत एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे तथा संविदा के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी तर्कसंगत उपाय सुनिश्चित करेंगे ।

7.2 **संविदा का प्रावधान** : दोनों पक्ष समझते हैं कि यह अव्यवर्हाय कि इस संविदा में संविदा की अवधि के दौरान होने वाली प्रत्येक आकस्मिकता के लिए प्रावधान हो, और पक्ष सहमत है कि उनके मध्य यह संविदा निष्पक्ष रूप से चले तथा किसी का अहित न हो और यदि किसी पक्ष को यह लगता है कि संविदा

का प्रचालन निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा है तो दोनों पक्ष ऐसी निष्पक्षता को दूर करने के लिए सभी प्रयास करेंगे तथा किसी खंड पर असहमति होने की दशा में खंड 8 के अनुसार विवाद पर मध्यस्था होगी ।

8. **विवादों का निपटारा**

8.1 **आपसी सहमति से निपटारा** : संविदा का निष्पादन संविदा के निबंधन और शर्तो से संचालित है । यदि संविदा के अंतर्गत किसी मामले में पक्षों में विवाद उत्पन्न होता है तो संविदा का कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है । नोटिस प्राप्त करने वाला पक्ष, नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर देगा । यदि 15 दिन के अंदर जवाब नहं दिया जाता है या जवाब देने के 30 दिन के अंदर विवाद को परस्पर सहमति से निपटारा नहीं किया जाता है तो खंड 8.2 लागू होगा ।

8.2 **मध्यस्थता** : खेल विभाग और एजेन्सी के बीच संविदा पर या इसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है और जिसका निपटारा आपसी सहमति से न हुआ हो तो कोई भी पक्ष विवाद को मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए भेज सकता है । ऐसे विवादो को मध्यस्थता अधिकरण को भेजा जाएगा जिसमें तीन मध्यस्थ होंगे, खेल विभाग तथा एजेन्सी, प्रत्येक द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा तथा तीसरा मध्यस्थ इन दोनों मध्यस्थों द्वारा चुना जाएगा जो कि मध्यस्था अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । यदि पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ उनकी नियुक्ति से15 दिन के अंदर तीसरे मध्यस्थ का चुनाव नहीं कर पाते है तो सचिव,खेल विभाग, भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा । भारतीय मध्यस्थ तथा सुलह अधिनियम, 1996 और इसमें कोई संविधानिक संशोधन या इसका पुनः अधिनियम बनाना, इन मध्यस्थ प्रक्रिया पर लागू होगा ।

8.3 मध्यस्थता प्रक्रिया भारत में नई दिल्ली में होगी तथा मध्यस्थता प्रक्रिया और सभी दस्तावेज तथा पत्रों के बीच संप्रेषण की भाषा अंग्रेजी होगी ।

8.4 मध्यस्थों का बहुमत निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर अनिवार्य होगा । मध्यस्थों द्वारा निर्धारित मध्यस्थों पर हुआ व्यय खेल विभाग तथा एजेन्सी द्वारा बराबर वहन किया जाएगा । तथापि तैयारी, प्रस्तुतीकरण से संबंधित व्यय

प्रत्येक पक्ष द्वारा स्वंय वहन किया जाएगा । सभी मध्यस्थ निर्णय लिखित होगें तथा निर्णय के कारण बताए जाएंगे ।

9. **परिसमाप्त क्षति**

9.1 पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यदि किसी पक्ष की लापरवाही से दूसरे पक्ष को नुकसान होता है और जिसका निर्धारण करना कठिन है तो नीचे दी गई राशि जो कि नुकसान का तर्कसंगत अनुमान है, तो प्रत्येक पक्ष नीचे दिए गए संविदा के प्रावधनों के अनुसार ऐसी परिसमापन क्षति का भुगतान करने को सहमत है ।

9.2 इस संविदा के अंतर्गत एजेन्सी द्वारा विलंब हेतु परिसमाप्त क्षति की राशि **परिशिष्ट-3** में दर्शाई गई संविदा की कुल राशि का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए ।

9.3 एजेन्सी द्वारा विलंब के लिए परिसमापन क्षति निम्नलिखित परिस्थितयों में लागू होगी :

(क) यदि कार्य, कार्य सूची के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो एजेन्सी को प्रत्येक सप्ताह या इसके एक हिस्से के विलंब के लिए सेवा की कुल लागत का 1 प्रतिशत भुगतान खंड 9.2 के अधीन करना होगा ।

(ख) खंड 6.3 (ड़) के अधीन यदि खेल विभाग को कार्य स्वीकार्य नहीं है और नोटिस देने के 15 दिन के अंदर खेल विभाग के संतोषजनक समस्या का निवारण नहीं होता है तो एजंसी खंड 9.2 के अधीन प्रत्येक सप्ताह या इसके हिस्से में हुए विलंब के लिए परिसमापन क्षति हेतु कुल लागत की 1% राशि अदा करनी होगी ।

(ग) खंड 2.9.1 (क) से (च) के अनुसरण में यदि करार किया जाता है तो खेल विभाग कुल लागत का 10 % परिसमापन क्षति के रूप में लगा सकता है या समापन के समय खेल विभाग/मीडीया समिति द्वारा निश्चित किया जाए ।

10 **हितों का विवाद**

10.1 खेल विभाग की नीति के अनुसार एजेंसी को पेशेवर, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष सलाह देनी है और हमेशा खेल विभाग के हित को सर्वोपरी रखना है तथा अन्य कार्यों या अपने हित को इसके साथ टकराने से बचाना है ।

10.2 पूर्ववर्ती खंडों की सामान्यता को सीमित किए बिना एजेंसी और उसके किसी संबद्धों को यह माना जाएगा कि उनके हितों में विवाद है और खेल विभाग द्वारा नीचे निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति में उन्हें कार्य पर नही लगाया जाएगा :

10.2.1 किसी परियोजना का कार्यान्वयन तैयार करने हेतु परामर्श प्रदान करने वाली एजेन्सी या उसकी संबंद्ध एजेन्सी द्वारा तैयार या कार्यान्वयन हेतु दिए परामर्श के फलस्वरूप उत्पन्न सामान या कार्य की मांग को पूरा करने के लिए अयोग्य होंगे । इस पैरा के उद्देश्य के लिए परामर्श से अलग सेवाएं वे हैं जो कि नापी जा सके जैसे सर्वेक्षण, एक्सप्लोर, ड्रिलिंग, हवाई फोटोग्राफी और सटेलाईट इमेज ।

10.2.2 एजेंसी (अपनी तथा उप एजेंसी सहित) को उसके संबद्ध को किसी भी ऐसे कार्य के लिए पारिश्रमिक पर नहीं लिया जाएगा जो कि एजेंसी के कार्य के विरूद्ध हो या किसी और खेल विभाग के इसी तरह के या अन्य कार्य कर रही हो ।

10.2.3 एजेंसी (अपनी तथा उप एजेंसी सहित) जिसके खेल विभाग के किसी सदस्य, जो कि (i) करार के विचाराधीन विषय की तैयारी (ii) ऐसे कार्य की चयन प्रक्रिया या (iii) संविदा की पर्यवेक्षण के कार्य से जुड़ा हो, के साथ व्यावसायिक या पारिवारिक रिश्ते हों, को संविदा न प्रदान की जाए, जब तक की चयन प्रक्रिया और संविदा के कार्य निष्पादन के दौरान ऐसे संबद्धों से उठे विवाद खेल विभाग को मान्य हों ।

10.2.4 एजेंसी, ऐसी कोई स्थिति वास्तविक या होने वाली, जिसकी वजह से खेल विभाग का अहित हो, बताने के लिए बाध्य है । ऐसा न करने की स्थिति में एजेंसी को अयोग्य ठहराया या इस संविदा को समाप्त किया जा सकता है ।

10.2.5 खेल विभाग का कोई भी कर्मचारी एजेंसी के साथ कार्य नहीं कर सकता है । खेल विभाग के पूर्व कर्मचारियों को नियुक्त जा सकता है बशर्ते कि हित न टकराएं ।

10.2.6 यदि लघु सूचित एजेंसी को संबंधित कार्य हेतु परामर्श प्रदान करने में प्रतियोगी लाभ मिलता हो तो खेल विभाग सभी लघु सूचित एजेन्सियों को ऐसी सभी सूचना प्रदान करेगा जिससे उन्हें प्रतियोगी लाभ मिले ।

10.2.7 यदि एजेंसी उप एजेंसी (जिन्हें लघु सूचित नहीं किया गया है) और/या विशेषज्ञ रखती है तो ऐसे उप एजेंसी और/या विशेषज्ञ के लिए खेल विभाग से पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

11 **निष्पादन प्रतिभूति**

11.1 सौंपें जाने के पत्र में विनिर्दिष्ट एवं शर्तों के अनुसार कार्यक्रम/परियोजना के उपयुक्त निष्पादन के लिए एजेंसी सौंपे जाने के पत्र जारी होने के 15 दिन के अंदर संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले निष्पादन प्रतिभूति के रूप में अप्रतिसंग्रहणी और बिना शर्त बैंक गारंटी खेल विभाग को प्रस्तुत करेगी जिसकी राशि कुल संविदा राशि की 5% होगी, इसका प्रारूप **परिशिष्ट 4** पर संलग्न है ।

11.2 बैंक गारंटी खेल विभाग के पक्ष में होगी और इसे भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीय या अधिसूचित इंडियन बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो तथा खेल विभाग को स्वीकार्य हो ।

11.3 इसे अभिव्यक्त रूप से समझा गया है तथा सहमति है कि निष्पादन प्रतिभूति का उद्देश्य संपूर्ण संविदा का निष्पादन सुनिश्चित करना है । यह भी अभिव्यक्त रूप से समझा गया है तथा सहमति है कि निष्पादन प्रतिभूति संविदा दस्तावेज के विभिन्न खंडों/विस्तृत/अनुवर्णित सभी क्षतियों को कवर करेगी ।

11.4 निष्पादन बैंक गारंटी प्रारंभ में तथा समापन तारीख से तीन महीने तक वैद्य होगी । इसे खेल विभाग द्वारा निष्पादित करके संविदा के अंतर्गत एजेंसी की बाध्यता समाप्त होने की तारीख से तीन महीने के अंदर एजेंसी को लौटा दिया जाएगा ।

11.5 यदि कार्यक्रम/परियोजना अवधि चाहे जिस कारण से बढ़ा दी गई हो, एजेंसी अपनी लागत पर उसके द्वारा दी गई निष्पादन प्रतिभूति के बारे में बैंक प्रत्याभूति की वैधता अवधि को बढ़वाएगी और मूल रूप में दी गई बैंक प्रत्याभूति की समापन अवधि से पहले खेल विभाग को बढ़ी हुई/संशोधित बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगी ।

12 **संविदा कीमत**

12.1 संविदा कीमत, उपर खंड 5.2 के आने वाले कर कानून में परिवर्तनों को छोड़कर, संपूर्ण संविदा अवधि के लिए स्थायी और निर्धारित रहेगी ।

13 **संविदा का हस्तांतरण**

13.1 एजेंसी, खेल विभाग की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसका कोई अंश किसी को भी नहीं सौपेगी या हस्तांतरित नहीं करेगी ।

13.2 एजेंसी स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में कार्य करेगी और संविदा के अंतर्गत सभी सेवाओं के लिए उत्तरदायी होगी । वह अपनी उप एजेंसियों और कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखेगी और वह किसी भी स्थिति में खेल विभाग की पूर्व लिखित

अनुमति के बिना खेल विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी अथवा इसके नाम से कार्य नहीं करेगी ।

14 **विविध उपबंध** :

(i) इस संविदा में उल्लिखित किसी बात का अर्थ मालिक और नौकर अथवा प्रिसिंपल और एजेंट का संबंध दोनों पक्षों के बीच स्थापित किए जाने या बनाए जाने के रूप में नहीं माना जाएगा ।

(ii) इस संविदा के अंतर्गत अधिकार या शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी पक्ष की ओर से किसी चूक या विलंब से उस अधिकार या शक्ति का परित्यजन नहीं होगा

(iii) एजेंसी अपनी विधिक अस्तित्व के रूप में अपनी स्थिति में किसी प्रकार के वास्तविक परिवर्तन के बारे में खेल विभाग को अधिसूचित करेगी । विशेषकर ऐसे परिवर्तन अथवा समापन (वाइडिंग रूप) कार्यवाही के बारे में अधिसूचित करेगी जिससे इस संविदा के अंतर्गत निष्पादन दायित्व पर प्रभाव पड़ेगा ।

(iv) एजेंसी का प्रत्येक सदस्य संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से खेल विभाग के प्रति सेवाओं के निष्पादन के लिए सभी देयताओं के लिए दायी ओर उत्तरदायी होंगे ।

(v) एजेंसी, संविदा के अंतर्गत अपनी सेवाओं को प्रदान करते समय किसी बौद्धिक संपदा अधिकार (आई पी आर) के किसी अतिलंघन के लिए सभी दावों/क्षतियों आदि से खेल विभाग को सदा क्षतिपूर्ति करेगी और क्षतिपूरित रखेगी ।

(vi) एजेंसी किसी क्षति के बारे में, अथवा उसके (एजेंसी के) कर्मचारियों अथवा उप एजेंसी के एजेंटों द्वारा किसी दुर्घटना अथवा चोट के परिणामस्वरूप अथवा एजेंसी द्वारा या एजेंसी की ओर से किए गए किसी कार्य, लोप अथवा संचालन परिणामस्वरूप देय किसी क्षति या क्षतिपूर्ति के बारे में किसी दावे से खेल विभाग को सदा क्षतिपूर्ति करेगी और क्षतिपूरित रखेगी ।

(vii) एजेंसी कर्मचारियों, कामगारों, एजेंसी, उप एजेंसी, आपूर्तिकर्ताओं, एजेंसी के लिए नियोजित कार्यरत अथवा अन्य कार्य करने वाले एजेंटों द्वारा अपनी मजदूरी, वेतन, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति या इसी प्रकार के अन्य मामलों के बारे में किसी या सभी दावों से खेल विभाग को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूरित रखेगी ।

(viii) क्षतिपूर्ति के बारे में सभी दावे, संविदा के परिसमापन अथवासमापन के बाद भी बने रहेंगे ।

(ix) सभी पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है और सहमत हुआ जाता है कि

एजेंसी द्वारा लगाए गए व्यक्तियों या भारत सरकार या खेल विभाग के किसी कार्यालय अथवा स्थापना में किसी भी क्षमता में परवर्ती नियोजन, सेवा या रोजगार के लिए किसी प्रकार का निहित या अन्य रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का एबजार्ब्सन, नियमितीकरण, निरंतरनियोजन अथवा रियायत दी जाएगी और न ही रोजगार के लिए तरजीह दी जाएगी ।

परिशिष्ट-1

गतिविधियों तथा परिदेय सहित सेवाओं का विवरण

एजेंसी के कार्य में मुख्यता निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) हिंदी में एक गुणगान तथा एक एपिक म्यूजिक वीडियो-टेलीकास्ट/प्रसारण के उद्देश्य से प्रत्येक (4) मिनट की अवधि का होगा ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों (राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोरंजन से जुड़े कलाकार, उद्योगपति, इत्यादि) का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सेलीब्रिटीज) – टीवी स्पाट, सेलीब्रिटिज स्थानीय समुदायों के साथ खेल खेलें –दूरदर्शन के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय चैनल पर दिखाए जाने के लिए प्रत्येक (2) मिनट की अवधि का होगा ।

(ग) सफलता की दस कहानियों का वीडियो । पायका के प्रमुख राज्यों से उनके समुदाय की आवाज में पायका के रोल माडलों (व्यक्तियों, स्कूलों, पंचायतों) के वास्तविक जीवन की कहानियां ।

(घ) पूरे देश में सरकारी स्कूल और कार्यालयों में प्रदर्शन के लिए खेल कार्यक्रमों/पोस्टर के कैंलेंडर का मुद्रण ।

परिशिष्ट-2

परिदेय का प्रारूप

क्र0 सं0	परिदेय	प्रारूप
1	इपिक म्यूजिक वीडियो	डिजीबेटा फाइल
	गुणगान गाना	सीडी
2	सेलीब्रिटी टीवी स्पाट	डिजीबेटा फाइल
3	सफलता कहानी वीडियो	डिजीबेटा फाइल
4	कैलेंडर	प्रिंटेड कैलेंडर

परिशिष्ट-3

भारतीय रूपए के कुल सेवा लागत

सेवा कर सहित कुल लागत का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	लक्ष्य (परिदेय)	भुगतान (रूपए में)
1	हिंदी में एक गुणगान तथा एक एपिक म्यूजिक वीडियो-टेलीकास्ट/प्रसारण के उद्देश्य से प्रत्येक (4) मिनट की अवधि का होगा ।	--
2	विभिन्न क्षेत्रों (राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोरंजन से जुड़े कलाकार, उद्योगपति, इत्यादि) का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सेलीब्रिटीज)–टीवी स्पाट, सेलीबिटीज स्थानीय समुदायों के साथ खेल खेलें –दूरदर्शन के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय चैनल पर दिखाए जाने के लिए प्रत्येक (2) मिनट की अवधि का होगा ।	--
3	सफलता की दस कहानियों का वीडियो । पायका के प्रमुख राज्यों से उनके समुदाय की आवाज में पायका के रोल माडलों (व्यक्तियों, स्कूलों, पंचायतों) के वास्तविक जीवन की कहानियां ।	--
4	पूरे देश में सरकारी स्कूल और कार्यालयों में प्रदर्शन के लिए खेल कार्यक्रमों/पोस्टर के कैलेण्डर का मुद्रण ।	--

परिशिष्ट-4

निष्पादन प्रतिभूति के लिए माडल बैंक प्रत्याभूति प्रपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

.... ने (आपूर्तिकर्ता का नाम और पता) (जिसे इसमें आगे "आपूर्तिकर्ता" कहा गया है) दिनांक .... की संविदा संख्या के (जिसे इसमें आगे संविदा कहा गया है) के अनुसरण में ....(माल और सेवा का विवरण) की आपूर्ति के लिए बचनबद्धता की है ।

और पूर्वोक्त संविदा में आपके द्वारा यह नियत किया गया है कि आपूर्तिकर्ता आपके द्वारा निर्धारित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा आपको बैंक प्रत्याभूति उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में संविदा के अनुसार अपनी देयताओं के अनुपालन के लिए प्रस्तुत करेगा ;

और हम ऐसी बैंक प्रत्याभूति आपूर्तिकर्ता द्वारा देने के लिए सहमत हो गए हैं ;

अतः अब हम प्रतिज्ञान करते हैं कि हम प्रत्याभूतिकर्ता हैं और .... की राशि (प्रत्याभूति की राशि शब्दों और अंकों में) तक आपूर्तिकर्ता की ओर से उत्तरदायी है और हम संविदा के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को चूककर्ता घोषित करते हुए आपके प्रथम लिखित डिमांड पर बिना किसी दोषान्वेषण या तर्क के पूर्वोक्त सीमा (प्रत्याभूति की राशि) के अंतर्गत किसी राशि या राशियों को आपकी डिमांड का आधार या कारण दर्शाने को प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता के बिना अथवा उसमें निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं ।

हम, हमें डिमांड प्रस्तुत करने से पहले आपूर्तिकर्ता से पूर्वोक्त ऋण की आप की डिमांड करने की आवश्यकता को परित्याग करते हैं ।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि निष्पादित की जाने वाली संविदा अथवा आप और आपूर्तिकर्ता के बीच की जाने वाली किसी संविदा प्रलेख में परिवर्तन या परिवर्धन अथवा अन्य प्रकार का आशोधन, इस प्रत्याभूति के अंतर्गत हमें किसी देयता से मुक्त नहीं करता है हम एतदद्वारा ऐसे किसी प्रकार के परिवर्तन, परिवर्धन अथवा आशोधन संबंधी नोटिस का परित्योग करते हैं ।

यह प्रत्याभूति 20..............के ....महीने के ....वें दिन तक विधिमान्य रहेगी ।

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

....

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

....

....

बैंक की मुहर, नाम और पता तथा शाखा का पता

परिशिष्ट-5

कार्य के प्रस्ततीकरण एवं सुपुर्दगी के लिए समय सूची

क्र0 सं0	परिदेय	प्रारंभ करने की तारीख	फर्स्ट कट का प्रस्तुतीकरण	फाइनल कट के प्रस्तुतीकरण की अवधि
1	हिंदी में एक गुणगान तथा एक एपिक म्यूजिक वीडियो-टेलीकास्ट/प्रसारण के उद्देश्य से प्रत्येक (4) मिनट की अवधि का होगा ।	जनवरी 2010	दिसम्बर 2009	मीडिया समिति द्वारा फर्स्ट कट के अनुमोदन से पांच कार्य दिवसों के अंदर
2	विभिन्न क्षेत्रों (राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोरंजन से जुड़े कलाकार, उद्योगपति, इत्यादि) का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सेलीब्रिटीज)–टीवी स्पाट, सेलीबिटीज स्थानीय समुदायों के साथ खेल खेलें –दूरदर्शन के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय चैनल पर दिखाए जाने के लिए प्रत्येक (2) मिनट की अवधि का होगा ।	जनवरी 2010	दिसम्बर 2009	मीडिया समिति द्वारा फर्स्ट कट के अनुमोदन से पांच कार्य दिवसों के अंदर
3	सफलता की दस कहानियों का वीडियो । पायका के प्रमुख राज्यों से उनके समुदाय की आवाज में पायका के रोल माडलों	मार्च 2010	फरवरी 2010	मीडिया समिति द्वारा फर्स्ट कट के अनुमोदन से पांच कार्य दिवसों के अंदर

	(व्यक्तियों, स्कूलों, पंचायतों) के वास्तविक जीवन की कहानियां ।			
4	पूरे देश में सरकारी स्कूल और कार्यालयों में प्रदर्शन के लिए खेल कार्यक्रमों/पोस्टर कैलेंडर का मुद्रण ।	दिसम्बर 2009	नवम्बर 2009	मीडिया समिति द्वारा फर्स्ट कट के अनुमोदन से पांच कार्य दिवसों के अंदर

नोट: मीडिया समिति द्वारा परिदेय के फाईनल कट के अनुमोदन के बाद तीन कार्य दिवसों के अंदर संबंधित कार्य की सुपुर्दगी की जाएगी । फाइनल कट के अनुमोदन की पुष्टि ईमेल/लिखित के माध्यम से की जाएगी ।

परिशिष्ट-6

निम्नलिखित कार्य की अनुमोदित स्क्रीप्ट की प्रतियां संलग्न है :

(क) हिंदी में एक गुणगान तथा एक एपिक म्यूजिक वीडियो-टेलीकास्ट/प्रसारणा के उद्देश्य से प्रत्येक (4) मिनट की अवधि का होगा ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों (राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध खिलाड़ी मनोरंजन से जुड़े कलाकार, उद्योगपति, इत्यादि) का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सेलीब्रिटीज) – टीवी स्पाट, सेलीबिटीज स्थानीय समुदायों के साथ खेल खेलें –दूरदर्शन के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय चैनल पर दिखाए जाने के लिए प्रत्येक (2) मिनट की अवधि का होगा ।

(ग) सफलता की दस कहानियों का वीडियो । पायका के प्रमुख राज्यों से उनके समुदाय की आवाज में पायका के रोल माडलों (व्यक्तियों, स्कूलों, पंचायतों) के वास्तविक जीवन की कहानियां ।

(घ) पूरे देश में सरकारी स्कूल और कार्यालयों में प्रदर्शन के लिए खेल कार्यक्रमों/पोस्टर कैलेंडर का मुद्रण ।

परिशिष्ट-7

संयुक्त सचिव (खेल), खेल विभाग की अध्यक्षता में मीडिया समिति

1.	श्री इंजेती श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सुश्री चेतना कोहली, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ	सदस्य
3.	श्री चौधरी मो0 अतिफ, निदेशक (मीडिया) नेहरू युवा केन्द्र संगठन	सदस्य
4.	सुश्री नीलम शामी राव, निदेशक (एस एस ए), प्रारंभिक शिक्षा विभाग	सदस्य
5.	श्री ई0 एस0 इसाक, वरिष्ठ निदेशक (खेल), दूरदर्शन	सदस्य
6.	महानिदेशक, आल इंडिया रेडियो का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	महानिदेशक, डीएवीपी का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8.	श्रीमती दिपीका कच्छल, निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य-सचिव